ऋण अनुबंध

यह अनुबंध अनुबंध सूची में उल्लेखित स्थान और तिथि पर संपन्न किया गया।

ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ता(ओं) जिनके विवरण इस करार के साथ संलग्न ऋण सार अनुसूची में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं (यहाँ से आगे "ऋणकर्ता" के रूप में संदर्भित) जिसका अर्थ जब तक संदर्भ या उसके अर्थ के विरूद्ध न हो, में उसके/इसके/उनके वंशज, निष्पादिती, प्रशासक, नामित, अनुमत समनुदेशिती और कानूनी प्रतिनिधि (जहां ऋणकर्ता एक व्यक्ति/एकल प्रोप्राइटर है), हितधारक उत्तराधिकारी जैसा भी मामला हो (जहां ऋणकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी है या अन्य कोई निगमित निकाय है), समय-समय पर फर्म के साझेदार, उनके उत्तरजीवी और उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, नामिती और साझेदारों के वंशज (जहां ऋणकर्ता एक साझेदारी फर्म है) पहले पक्ष के रूप में

और चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'चोला क्रेस्ट', सी 54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई - 600032 में स्थित है, (यहाँ से आगे "कंपनी" कहा गया है) जिसके अर्थ जब तक संदर्भ या उसके अर्थ के विरूद्ध न हो, में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे, दूसरे पक्ष के रूप में

जबकि

A) कंपनी अन्य के अतिरिक्त संपत्तियों के विरूद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है;

B) ऋणकर्ता ने उस संपत्ति (यहाँ से आगे "परिसंपत्ति" कहा गया है), जो इस अनुबंध की अनुसूची में अधिक पूर्णरूप से वर्णित है, पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कंपनी से अनुरोध किया है,, जो ऋणकर्ता के नाम पर है और /या जिसे बंधक रखने के लिए जिसके लिए ऋणकर्ता ने संबंधित मालिकों/धारकों से विशिष्ट प्राधिकार/मुखतारनामा प्राप्त किया है, वित्तीय सहायता हेतु कंपनी से अनुरोध किया है।

C) प्राप्त की जाने वाली ऋण सुविधा के संदर्भ में ऋणकर्ता कंपनी द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है, जिनके बारे में आगे अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, और विशेष रूप से इस अनुबंध के तहत समस्त देय धनराशि कंपनी को चुकता कर दिए जाने तक, उक्त बंधक संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण, बंधक, या किसी अन्य प्रकार से जैसा भी हो, कार्य नहीं करेगा;

D) ऋणकर्ता द्वारा किए गए उक्त अभिवेदन के आधार पर कंपनी, ऋणकर्ता द्वारा वांछित वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत है, जिसके निबंधन व शर्तों के बारे में यहाँ से आगे विनिर्दिष्ट किया गया है;

अब यह अनुबंध निम्नानुसार संदर्शित है:

परिभाषाएं और व्याख्याएं:

इस अनुबंध में, विषय या उसके संदर्भ के विपरीत अन्यथा अपेक्षित न होने पर, नीचे सूचीबद्ध पदों का अर्थ निम्नानुसार होगा। जिन पदों और अभिव्यक्तियों को यहां स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां उनकी व्याख्या और अर्थ वह होगा जो सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 के नियमों के अनुसार उनके लिए व्याख्या और अर्थ निर्धारित किए गए हैं।

a) शब्द **"अनुबंध"** का अर्थ और इसमें यह ऋण अनुबंध, अनुसूची/यां, कोई परिशिष्ट, पूरक अनुबंध या इस अनुबंध में या इसके बाद संलग्न अनुलग्नक सम्मिलित हैं।

b) शब्द **''ऋणकर्ता''** का अर्थ ऐसा व्यक्ति/कंपनी/फर्म/एसोसिएशन/न्यास/निकाय होगा, जिसका नाम इस रूप में अनुसूची में उल्लेखित किया गया है और जिसके नाम से कंपनी द्वारा ऋण खाते का रखरखाव किया गया है। संदर्भ के विपरीत अन्यथा अपेक्षित न होने पर ऋणकर्ता/ओं का आशय और उसमें ऋणकर्ता के कोई कानूनी वंशज, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, हितधारक उत्तराधिकारी, ऋणकर्ता के पदधारक उत्तराधिकारी से होगा, और एक से अधिक ऋणकर्ता शामिल होंगे।

c) व्यंजक **"देय तिथि"** का अर्थ उस तिथि से है जब इस अनुबंध के अंतर्गत देय ऋण की मूल धनराशि, ब्याज और/या कोई अन्य धनराशि और/या ऋण की शेषराशि जैसा भी लागू हो, इस अनुबंध के किसी उपबंध के अंतर्गत भुगतान हेतु देय होती है।

d) व्यंजक **"इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवाएं"** या ईसीएस /"नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस" या एसीएच/इ-एनएसीएच का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऋण समाशोधन सेवा से है जिसमें भागीदारी हेतु इस अनुबंध के अंतर्गत ईएमआई भुगतान सुगम बनाने के लिए ऋणकर्ता द्वारा लिखित सहमति प्रदान की गई है।

e) शब्द **"किश्त"** का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक भुगतान राशि से है जो ऋण की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण परिशोधित करने के लिए अनिवार्य है।

f) शब्द **"ऋण"** का अर्थ ऋण इस अनुबंध तथा अनुसूची हेतु प्रदान की गई धनराशि से है।

g) व्यंजक "दंडात्मक शुल्क" का अर्थ है देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय किश्तों या किसी अन्य राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर कंपनी द्वारा लगाया गया शुल्क।

h) व्यंजक **"पश्च दिनांकित चैक(कों)"** या **"पीडीसी"** का अर्थ, किश्त की धनराशि हेतु ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में आहरित होने वाले चैकों से है जिन पर अंकित तिथियां, प्रत्येक किश्त की तिथि के अनुरूप होंगी।

i) शब्द **"समयपूर्व समापन"** का अर्थ कंपनी द्वारा स्थापित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, समयपूर्व की जाने वाली चुकौती से है जो ऐसे पुनर्भुगतान/चुकौती के समय लागू तथा प्रभावी हों।

j) शब्द **"संपत्ति"** का अर्थ इस अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भूमि तथा अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनको ब्याज व अन्य प्रभारों सहित ऋण के समुचित पुनर्भुगतान/चुकौती के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता हो। ऐसी समस्त परिसंपत्तियों/संपत्तियों में भूमि, और उस पर निर्मित/भविष्य में निर्मित की जाने वाली इमारतें और/या अधिसंरचनाएं सम्मिलित हैं, जिन्हें इस अनुबंध के अंतर्गत ''परिसंपत्तियां'' कहा गया है।

k) व्यंजक **''ब्याज दर"** का अर्थ इस अनुबंध के अनुच्छेद 2 में संदर्भित ब्याज दर से है।

l) शब्द **''पुनर्भुगतान/चुकौती"** का अर्थ ऋण मूलधन तथा उस पर ब्याज राशि सहित की किश्तों के माध्यम से पुनर्भुगतान/चुकौती से है जिसमें इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को देय दंडात्मक शुल्क, प्रतिबद्धता और/या कोई अन्य प्रभार, अधिशुल्क, फीस या अन्य देयक शामिल हैं और इसका विशेष रूप से अर्थ इस अनुबंध के अनुच्छेद 6 हेतु निर्दिष्ट परिशोधन से है।

m) शब्द **"अनुसूची"** का अर्थ इस अनुबंध की अनुसूची से है।

संदर्भ के विपरीत या अन्यथा अर्थ अपेक्षित न होने पर एकवचन में प्रयुक्त सभी शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होंगे तथा एक लिंग को संदर्भ में समस्त लिंग सम्मिलित होंगे।

1. ऋण की शर्तें:

a) कंपनी एतद्द्वारा अनुसूची में यथानिर्दिष्ट अनुसार, एक या अधिक भागों में, यहां निर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप, ऋणकर्ता को ऋण प्रदान करने के लिए सहमत है। इसके अलावा, उस धनराशि मात्रा का आकलन करने के लिए जिसे सुविधा प्राप्त करने से पूर्व उधार दिया जा सके, बंधक हेतु प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित संपत्ति का मूल्य निर्धारण कंपनी के एकल/पूर्ण तथा विशिष्ट विवेकाधिकार के अनुसार किया जाएगा और यह ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

b) इस अनुबंध के तहत प्रदान किया जाने वाला ऋण अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण समयावधि के अनुसार अवधि तक के लिए प्रदान किया जाएगा जो इसमें निर्दिष्ट तिथि से प्रारंभ होगी, जब तक कि इस अनुबंध को इसमें निर्दिष्ट विधियों से समयपूर्व निरस्त नहीं कर दिया जाता। ऋणकर्ता इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋणचुकौती करेगा। कंपनी, अपने पूर्ण और विशिष्ट विवेकाधीन सुविधा को नवीनीकृत करने के लिए सहमत हो सकती है और यदि इस अनुबंध/अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण अवधि के सांतत्य के दौरान सुविधा को वापस लिया/निरस्त किया जाता है, जैसा कंपनी किसी भी समय बिना कारण बताए करने के लिए अधिकारी है, तो मांगे जाने पर ऋणकर्ता इस अनुबंध में निर्दिष्ट किए गए अनुसार समस्त धनराशि तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित चुकता करने के लिए दायी होगा।

2. ब्याज:

a) ऋण राशि पर ब्याज की दर इस अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी।

b) ऋणकर्ता, अनुसूची में यथानिर्दिष्ट दर पर, ऋण वितरण की तिथि से, ऋणकर्ता द्वारा देय ऋण धनराशि तथा समस्त अन्य प्रभारों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

c) ऋण सुविधा की अवधि के दौरान अनुसूची में निर्धारित ब्याज दर नियत रहेगी। कंपनी द्वारा अपने विवेकानुसार, अनुबंध कालावधि में ऋण पर लागू ब्याज दर को कंपनी द्वारा समय-समय पर बढ़ाते या घटाते हुए उत्तरव्यापी प्रभाव से पुनरीक्षित किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन, स्वीकृति पत्र की शर्तों के अधीन होंगे और इनके बारे में ऋणकर्ता को सूचित किया जाएगा और ऋणकर्ता पर ये बाध्यकारी होंगे।

d) इस अनुबंध के संदर्भ में या परिसंपत्ति के संबंध में ऋणकर्ता, पूर्वव्यापी या उत्तरव्यापी रूप से प्रभावी ब्याज पर समस्त करों, ड्यिूटी, उपकरों, समस्त करों, उपकरों, अनुज्ञप्ति शुल्क, अन्य करों/बीमा प्रीमियम, जावकों, जिनमें ब्याज प्रभारों पर केंद्रीय/राज्य सरकारों/प्राधिकारियों द्वारा आरोपित कोई कर शामिल हैं और यदि कंपनी ऐसे कोई भुगतान करती है तो इस संबंध में कंपनी की ओर से देयक सूचना पावती के बाद 3 दिनों के अंदर ऋणकर्ता कंपनी को इसकी प्रतिपूर्ति करेगा। यदि ऋणकर्ता उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है, तो कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने की तिथि से लेकर ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को उक्त राशि की वास्तविक प्रतिपूर्ति की तारीख तक दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा

e) कंपनी के अन्य अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, यदि ऋणकर्ता इस अनुबंध के अनुपालन में कंपनी को देय किसी धनराशि के प्रेषण में चूक (डिफॉल्ट) करता है, तो डिफॉल्ट की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक बकाया धनराशि पर, अनुसूची में उल्लिखित दर से कंपनी को दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

f) इस अनुबंध के अंतर्गत उधारी एक वाणिज्यिक अंतरण है और ऋणकर्ता/गारंटर ब्याज प्रभारित करने से संबंधित सूदखोरी या अन्य कानूनों के अंतर्गत किसी प्रतिरक्षा का परित्याग करता है।

g) ब्याज की गणना - किस्त में मूलधन और ब्याज की गणना अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर के आधार पर की जाती है और मासिक घटती शेष राशि पर गणना की गई निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाती है। ब्याज दैनिक आधार पर अर्जित होगा और यह मासिक आधार पर या वास्तविक दिनों की संख्या, जैसा भी मामला हो, के आधार पर परिकलित किया जाएगा।

ऋणकर्ता/ओं

3. दस्तावेज़/प्रोसेसिंग प्रभार:

ऋणकर्ता ने किसी दबाव या प्रलोभन के बिना कंपनी को दस्तावेज़/प्रोसेसिंग प्रभार का भुगतान करने हेतु सहमति दी है, जैसा कि ऋण की स्वीकृति हेतु ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के समक्ष आवेदन करते समय सहमति प्रदान की गई है। उक्त दस्तावेज़/ प्रोसेसिंग प्रभार/सेवा प्रभार जो इस अनुबंध की अनुसूची में अधिक विशेषरूप से उल्लेखित है, किन्हीं भी परिस्थितियों में ऋणकर्ता को प्रतिदेय नहीं होगा चाहे ऋण स्वीकृति के बाद ऋण प्राप्त न किया जाए या कंपनी द्वारा प्रदान न किया जाए।

4. वितरण:

a) ऋणकर्ता अपनी वांछना के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण वितरण के तरीके से अवगत कराएगा। हालांकि, कंपनी को वितरण का प्रकार निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है, जिसे इस अनुबंध के अंतर्गत अवेक्षित, ऋणकर्ता को वितरण माना जाएगा।

b) इस अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को किए गए समस्त वितरण केवल रेखांकित चैक से ही किए जाएंगे जिन पर “केवल खाते में देय" लिखा होगा। केवल आदाता या मांग ड्राफ्ट द्वारा, या भारतीय बैंकिंग प्रणाली द्वारा कोई अन्य स्वीकृत निधि हस्तांतरण प्रकार, कंपनी के पूर्ण विवेकानुसार होंगे। ऐसी समस्त चैकों या अंतरण प्रकारों के संदर्भ में संग्रहण प्रभार या ऐसे कोई अन्य आरोपित प्रभार, यदि कोई हों, ऋणकर्ता या उसके बैंक द्वारा चैक पारगमन/संग्रहण/वसूली में लगे समय से पृथक, ऋणकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

c) ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है कि ऋण धनराशि उगाही तिथि से पृथक, वितरण की तिथि चैक की तिथि या वह तिथि होगी जब कंपनी एनईएफटी/आरटीजीएस, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से सीधे ऋणकर्ता के बैंक खाते में जमा करे, ।

d) ऋणकर्ता कंपनी की सहमति के बिना और अनिवार्य निरस्तीकरण प्रभारों के भुगतान के बिना, वितरण स्वीकार करने से मना करने का अधिकारी नहीं होगा।

e) यदि ऋण वितरण के पश्चात लेकिन प्रथम किश्त की देय तिथि से पूर्व, ऋणकर्ता किसी भी कारण से, ऋण निरस्त किए जाने का अनुरोध करता है, तो कंपनी द्वारा ऐसे निरस्तीकरण के प्रति सहमति के विषयाधीन ऋणकर्ता, ऋणराशि का अविलंब भुगतान, वितरित ऋण राशि पर वितरण की तिथि से ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान/चुकौती की तिथि तक @ 18% प्र. व. ब्याज दर या ऐसी किसी अन्य दर पर ब्याज के साथ करेगा, जैसा ऋणकर्ता को निरस्तीकरण प्रभारों के रूप में सूचित किया जा सकता हो।

5. पुरोभाव्य शर्त:

ऋण धनराशि कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को निम्न पुरोभाव्य शर्तें ")पुरोभाव्य शर्त(" पूरी करने पर वितरित की जाएगी। एतद्द्वारा अनुसूची में उल्लेखित तिथि या ऐसी किसी तिथि से, जिसे कंपनी द्वारा बढ़ाया जा सकता हो, ऋणकर्ता शर्तों की अनुपालना करेगा। ऐसी तिथि से पुरोभाव्य शर्त का पालन करने में विफलता पर कंपनी ऋण वितरण करने से मना कर सकती है और यदि किन्हीं कारणों या असाधारण परिस्थितियों में पहले ही वितरित किया जा चुका हो तो अपने पूर्ण विवेकानुसार या तो वितरित धनराशि को पूरी तरह से ब्याज और प्रभारों सहित, यदि कोई हों, एकमुश्त वापस ले सकती है या वितरित धनराशि को ऋण में परिवर्तित कर सकती है और ऋणकर्ता को किश्तों के भुगतान हेतु कह सकती है। ऋणकर्ता द्वारा पूरी किए जाने हेतु अपेक्षित पुरोभाव्य शर्तें निम्न हैं:इस अनुबंध में निहित ऋणकर्ता के वक्तव्य और वारंटियां (i) उस तिथि को, और (ii) अपेक्षित वितरण की तिथि को (जैसे कि उसी तिथि को की गई हों)/ऋण की प्राप्ति की तिथि को वैध होंगी;

a) यदि कंपनी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, कंपनी को स्वीकार्य गारंटी/(यां) कंपनी के पक्ष में निष्पादित की जाएंगी;

b) ऋणकर्ता कंपनी द्वारा अपेक्षित प्रकार से कंपनी को पश्च दिनांकित चैकें/ईसीएस आदेश/एसीएच/इ-एनएसीएच/एनईएफटी/ ऐसे कोई अन्य लागू मान्यकरण या लिखत (इंस्ट्रूमेन्ट) निष्पादित और प्रदान करेगा;

c) ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में ऐसी प्रतिभूति ("प्रतिभूति") सृजित की जाएगी जो कंपनी द्वारा स्वीकार्य हो सकती हो। ऐसी प्रतिभूति पर ऋणकर्ता या परिसंपत्ति के मालिक का स्पष्ट व विपणनयोग्य हक होना चाहिए जो समस्त ऋणभारों, ग्रहणाधिकारों और स्वामित्व (हकदारी) के दोषों से रहित हो। जहां ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक द्वारा ऐसी प्रतिभूति के सृजन हेतु लागू कानून के अंतर्गत कोई पंजीकरण और फाइलिंग किया जाना अपेक्षित हो, वहां इस संबंध में ऋणकर्ता ऐसे समस्त पंजीकरण और फाइलिंग कराएगा /परिसंपत्ति के मालिक से कराना सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जहां ऋणकर्ता को ऐसी किसी प्रतिभूति के सृजन हेतु किन्हीं सहमतियों की आवश्यकता हो, वहां, ऋणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि परिसंपत्ति के मालिक ने ऐसी प्रतिभूति के सृजन से पूर्व ऐसी सभी सहमतियां भी प्राप्त कर ली हैं;

d) ऋणकर्ता और/या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो, ऐसे अन्य दस्तावेज़ या लिखित विवरण निष्पादित करेगा जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो, और ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा और ऐसे अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करेगा जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो।

e) भुगतानचूक (डिफॉल्ट) की घटना का अनस्तित्व: भुगतानचूक (डिफॉल्ट) की कोई घटना, जैसा अनुच्छेद 10 में पारिभाषित है, न पूर्व में हुई हो और न ही वर्तमान में चल रही हो।

f) अग्रिम किश्तें: ऋणकर्ता कंपनी को इस अनुबंध के निष्पादन के समय अनुसूची/(यों) में निर्धारित संख्या में या एतद्द्वारा इसके बाद किसी अन्य समय पर जैसा कंपनी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता हो, अग्रिम किश्तों का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता है। इस अनुबंध के अन्य प्रावधानों के विषयाधीन, अग्रिम किश्तें अनुसूची में निर्धारित तरीके से किश्तों के सापेक्ष समायोजित की जाएंगी। कंपनी अग्रिम किश्तों पर किसी ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगी।

6. पुनर्भुगतान/चुकौती:

a) ऋणकर्ता कंपनी को उस समस्त धनराशि, जो इस अनुबंध के तहत ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय हो सकती है, का नियत समय पर बिना किसी विलंब या चूक के भुगतान करेगा। ऋणकर्ता इसे अभिस्वीकृत करता है कि पुनर्भुगतान/चुकौती समय-सारिणी की कड़ी अनुपालना, ऋण प्रदान करने की एक अनिवार्य शर्त है और वह समय इस अनुबंध का सार है।

b) ऋणकर्ता द्वारा ऋण और उस ब्याज की किश्तों में पुनर्भुगतान/चुकौती अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। यहां उल्लेखित पुनर्भुगतान/चुकौती समय-सारिणी, इस अनुबंध के अंतर्गत ब्याज व अन्य देयकों सहित समस्त ऋण चुकता करने की मांग करने के कंपनी के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। इसके अलावा, किश्तों का परिकलन/निर्धारण, किश्तों व उन पर ब्याज राशि के पुनर्परिकलन के कंपनी के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है, जिसमें किसी स्तर पर किश्तों का गलत प्रकार से परिकलन करना पाया जाना शामिल है। हालांकि अनुसूची में वर्णित किश्तें अनुबंध समाप्त करने के कंपनी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगी यदि किसी समय ऐसा करना उपयुक्त पाया जाता है और पहले से देय समस्त धनराशि तथा जो चुकता न की गई हो, यदि कोई हो, समस्त भावी किश्तों सहित और कोई अन्य धनराशि जो देय हो सकती हो, भावी किश्तों पर किसी छूट के विषयाधीन जैसा इसके द्वारा अनुमत हो सकता हो, के भुगतान की मांग की जाएगी। ऐसे किसी संशोधन की स्थिति में, ऋणकर्ता कंपनी को नई पश्च दिनांकित चैकें/ईसीएस /इ-एनएसीएच या ईसीएस आदेश निर्गत करने के लिए सहमत है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है, जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित हो सकता हो।

c) कर्जदार द्वारा कंपनी को देय सभी राशियों का भुगतान देय तिथियों पर या उससे पहले किसी भी कटौती के बिना किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर उधारकर्ता के ऋण खाते को विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) / गैर-निष्पादित खाते (एनपीए) या के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। नियत तिथि के अंत में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी अन्य श्रेणी। एसएमए और एनपीए श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार और उसके लिए उदाहरण अनुसूची में उल्लिखित हैं। हालाँकि, भले ही भुगतान देय तिथियों से पहले किए गए हों, भुगतानों के लिए केवल देय तिथियों पर या उपकरणों की वसूली पर जो भी बाद में हो, क्रेडिट दिया जाएगा।

d) ऋणकर्ता इसकी पुष्टि करता है कि उसने मासिक किश्तों के आगणन तथा मूलधन और ब्याज के विभाजन की गणना करने की कंपनी की विधि को ध्यान देकर पढ़ लिया, समझ लिया है और उसके प्रति सहमत है।

e) यदि देय तिथि को अवकाश हो, तो भुगतान उसके अगले कार्यदिवस में किया जाएगा।

f) इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को किए गए समस्त भुगतान, देय तिथियों पर, विनिमय (दर) और कटौती रहित होंगे।

g) किसी भी कारण से देय तिथियों से पहले ऋणकर्ता द्वारा किए गए किसी भी अग्रिम भुगतान को ऋणी ऋण खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। किशत के प्रति प्राप्त ऐसी अग्रिम राशि का समायोजन ऐसे भुगतानों के लिए केवल देय तिथियों पर ही किया जाएगा। ऐसे प्राप्त अग्रिम भुगतान ब्याज में किसी छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

7. किश्तों के भुगतान का प्रकार:

a) यहां वर्णित निबंधनों एवं शर्तों के विषयाधीन, ऋण का पुनर्भुगतान/चुकौती स्थायी अनुदेशों (एसआई)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) इ-एनएसीएच या कंपनी द्वारा समय-समय पर स्वीकृत ऐसी किसी अन्य विधि जिसमें कंपनी को ऋणकर्ता के बैंक खाते से सीधे डेबिट द्वारा देय किश्तों की वसूली के लिए अधिकृत किया गया हो, द्वारा या पश्च दिनांकित चैकों या नकद धनराशि प्रेषण या मांग ड्रॉफ्ट से किया जाएगा। जब तक कि अनुबंध में कहीं कुछ और उल्लिखित न हो, यदि नियम ऋण का पुनर्भुगतान/चुकौती केवल एसीएच/इ-एनएसीएच/ ईसीएस/आरईसीएस/ईएफ़टी सुविधाओं के ज़रिए करने की ही अनुमति देते हों, कंपनी इन सुविधाओं के ज़रिए पुनर्भुगतान/चुकौती स्वीकार करेगी।

b) ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को किश्तों के भुगतान के लिए पश्च दिनांकित चैकें/ईसीएस या एसीएच/इ-एनएसीएचआदेश प्रदान करने होंगे। ऐसी पश्च दिनांकित चैकों या आदेशों की प्रस्तुति, ऋणकर्ता द्वारा इन चैकों/आदेशों को उनकी संबंधित तिथियों पर आहरण हेतु प्रस्तुत करने के लिए कंपनी को दिया गया शर्तरहित तथा अविकल्पी प्राधिकार माना जाएगा और ऋणकर्ता यह जिम्मेदारी लेता है कि चैकों/आदेशों को प्रथम बार प्रस्तुत किए जाने पर आदरित किया जाएगा। कंपनी द्वारा किन्हीं चैक(कों)/आदेश(शों) को किन्हीं भी कारणों से (भुनाने हेतु) प्रस्तुत न किया जाना, इस अनुबंध के अंतर्गत देय और बकाया मासिक किश्तों या कोई अन्य धनराशियों को चुकता करने के ऋणकर्ता के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है।

c) यदि अनुच्छेद 7 (a) के अनुपालन में ऋणकर्ता द्वारा प्रदत्त कोई एक या एकाधिक या समस्त पीडीसी/ईसीएस/एसीएच/इ-एनएसीएच आदेश

  i. कंपनी की अभिरक्षा में होने के समय खो, नष्ट, या गुम हो जाते हैं या

  ii. या किसी भी कारण से, भुनाने (नकद कराने) योग्य नहीं रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऋणकर्ता कंपनी की ओर से उक्त चैकों के बारे में ऐसी हानि, नष्ट, या गुम होने की (जैसी भी स्थिति हो) सूचना प्राप्त करने पर या उक्त वर्णित किन्हीं कारणों से भुनाने (नकद कराने) योग्य न रह जाने पर कंपनी को उतनी संख्या में अन्य चैक प्रदान करेगा जो खो, नष्ट, गुम, या भुनाने (नकद कराने) के अयोग्य हुये चैकों के पर्याप्त बराबर हों या कंपनी को स्वीकार्य और द्वारा अनुमोदित प्रकार से ऋण के पुनर्भुगतान/चुकौती की उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

d) ऋणकर्ता की सहमति है और उसने समझ लिया है कि ऋणकर्ता द्वारा किन्हीं चैकों का किन्हीं भी कारणों से (भुनाने हेतु) प्रस्तुत न

किया जाना, ऋण धनराशि चुकता करने के ऋणकर्ता के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है। (ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को पहले दी गईं या एतद्द्वारा बाद की अवधियों में प्रदत्त) चैक(कों) के किसी भी कारण से जैसा भी हो, किसी विलंब, चूक, या नकदीकरण न होने (अनादरण), क्षति या हानि के लिए कंपनी किसी भांति उत्तरदायी नहीं होगी।

e) अपेक्षित होने पर, ऋणकर्ता, कंपनी की अनुमति के विषयाधीन, निर्गत तथा एक बैंक में आहरित चैकों को अन्य बैंक की चैक से बदल/अदला-बदली कर सकता है जिसके लिए प्रत्येक प्रतिस्थापन पर अनुसूची में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान कंपनी को स्वैप (अदला-बदली) प्रभार के रूप में करना होगा।

f) इस अनुबंध के अंतर्गत और/या प्रचलित कानून के अंतर्गत कंपनी के हो सकने वाले किन्हीं अन्य अधिकारों या उपचारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना ऋणकर्ता, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण पर प्रत्येक पीडीसी/ईसीएस/एसीएच/इ-एनएसीएचके अनादरण हेतु अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर चैक अनादरण प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी होगा। चैक/आदेश अनादरण पर प्रभार वसूली, परक्राम्य लिखत (इंस्ट्रूमेन्ट्स नेगोशिएबल) अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 यथासंशोधित तथा समय-समय पर प्रवर्तित तथा अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना होगी।

g) धनप्रेषण बाहरी (आउटस्टेशन) चैकों के माध्यम से किए जाने पर ऋणकर्ता अनुसूची में उल्लिखित चैक संग्रहण प्रभारों जिन्हें कंपनी के विवेकानुसार समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकता है, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

h) अनुसूची में उल्लेखित प्रभार, कंपनी के पूर्ण विवेकानुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं।

i) ऋणकर्ता ऋण या उसकी कर्जदारी का कोई अंश देय और बकाया रहने तक पीडीसी/एसीएच/इ-एनएसीएचया ईसीएस आदेश के संदर्भ में निरस्त करने या भुगतान रोक अनुदेश जारी करने का अधिकारी नहीं है और ऐसा कोई कृत्य करना धोखाधड़ी के इंरादे से किया गया, और परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट्स) अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अभियोजन से बचाव का प्रयास माना जाएगा और कंपनी को ऋणकर्ता के विरूद्ध उपयुक्त आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार होगा।

j) इस अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत समय-पूर्व समापन को सम्मिलित करते हुए ऋण संवरण (समाप्ति) की स्थिति में, कंपनी के पास मौजूद पीडीसी को ऋणकर्ता 60 दिनों के अंदर वापस प्राप्त कर सकता है जिसमें विफल रहने पर कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह ऋणकर्ता को कोई सूचना दिए बिना उन्हें नष्ट कर दे।

8. प्रतिभूति:

a) कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान किए जाने या प्रदान किए जाने हेतु सहमत होने को दृष्टिगत रखते हुए, ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है कि वह (एतद्द्वारा लिखित अनुसूची में उल्लेखित) परिसंपत्ति पर कंपनी के पक्ष में विशिष्ट प्रथम प्रभार सृजित करेगा जिसमें कि कंपनी के पक्ष में सृजित प्रतिभूति, कंपनी की संतुष्टि के अनुसार, समस्त ब्याज, तरलीकृत क्षतियां, लागतें, प्रभार, और व्यय तथा अन्य समस्त धनराशि सहित जो भी इस अनुबंध के अंतर्गत या अन्य प्रकार से देय हो या देय और बकाया हो सकती हो या जो इसके बाद ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के प्रति बकाया हो सकती हो ऋण राशि ("कथित देयक") सम्मिलित है।

b) ऋणकर्ता कंपनी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और प्रकार से समस्त दस्तावेज़, विलेख और लिखित वक्तव्य और एक मांग वचनबद्धता पत्र सहित ऐसी अन्य प्रतिभूतियां निष्पादित करेगा जो कंपनी द्वारा अपेक्षित हो सकती हों। इसके अलावा, जहां परिसंपत्ति के संबंध में कोई प्रतिभूति तत्समय प्रचलित किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता हो, वहां प्रतिभूति सृजन की तिथि से 10 दिन के अंदर उसे उचित पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष पंजीकृत कराएगा और मूल दस्तावेज़ कंपनी में प्रस्तुत करेगा।

c) इस पर सहमति है कि प्रस्तुत की गई समस्त प्रतिभूति, कंपनी के लिए एक सतत प्रतिभूति रहेगी और ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगी और;

   i. ऋणकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या ऋणकर्ता द्वारा खातों के निपटान द्वारा निस्तारित नहीं होगी, और;

   ii. किसी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होगी और उसे अनादरित करने वाली नहीं होगी जो देयकों के संदर्भ में कंपनी के पास किसी समय हो सकती हो;

   iii. समस्त देयकों के भुगतान कर दिए जाने और कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से मुक्त कर दिए जाने तक, कंपनी को उपलब्ध रहेगी;

   iv. उक्त देयक सुरक्षित करने के लिए ऋणकर्ता, अतिरिक्त प्रतिभूति सृजित करने और/या सृजित कराने की जिम्मेदारी लेता है, जैसा कंपनी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित किया जा सकता हो। उक्त की सामान्यता को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, ऋणकर्ता (a) देयकों के, प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य से अधिक होने या अन्य प्रकार से कंपनी की मार्जिन आवश्यकताओं से अधिक होने की स्थिति में; और (b) कंपनी को उपलब्ध किसी प्रतिभूति के नष्ट होने या क्षतिग्रस्त या ह्रासित होने, किसी प्रतिभूति की हकदारिता अस्पष्ट होने, अविपणनीय होने या कंपनी के विचार में भारग्रस्त होने या किसी भी प्रकार से प्रतिभूति के मूल्य के प्रभावित होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रतिभूति का सृजन करेगा।

d) किन्हीं अन्य दस्तावेज़ों में वर्णित कंपनी के अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, इस अनुबंध के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत वर्णित किसी भुगतानचूक (डिफॉल्ट) के घटित होने पर या स्वीकृति पत्र की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, कंपनी को ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रतिभूति को तरलीकृत करने और इसे अनुबंध के तहत ऋणकर्ता द्वारा देय पूरी राशि के सापेक्ष उस क्रम में विनियोजित करने का पूर्ण विवेकाकार होगा, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए।

e) इस अनुबंध के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत वर्णित किसी भुगतानचूक (डिफॉल्ट) के घटित होने पर या स्वीकृति पत्र की शर्तों के किसी

उल्लंघन होने की स्थिति में कंपनी किसी समय ऋणकर्ता के विरूद्ध उचित कार्यवाही और न्यायिक कार्यवाही कर सकती है, जैसा इसके द्वारा उपयुक्त और उचित पाया जाए।

f) प्रतिभूति प्रवर्तन की स्थिति में कंपनी, प्राप्त धनराशि में किसी हानि या कमी, या परिसंपत्ति के मूल्य में किसी घटोत्तरी के प्रति जवाबदेह नहीं होगी। कंपनी द्वारा ऐसी बिक्री ऋणकर्ता के प्रति किसी जवाबदेही के बिना की जाएगी और कंपनी द्वारा अधिकारों के प्रयोग किए जाने/ न किए जाने के कारण परिसंपत्ति के मूल्य में हानि/क्षति/अवमूल्यन के लिए कंपनी दायी नहीं होगी और इस आधार पर ऋणकर्ता कंपनी के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा कि ऊँचा मूल्य प्राप्त किया जा सकता था या प्राप्त हो सकता है, या इस अनुबंध के अंतर्गत अवशेष देयकों हेतु अपनी देयता को विवादित नहीं कर सकेगा। ऋणकर्ता ने ऋण और उस पर ब्याज धनराशि हेतु प्रतिभूति के प्रकार से कंपनी के पक्ष में एक माँग वचनबद्धता पत्र भी निष्पादित किया है, जिसे कंपनी द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है।

g) इस अनुबंध के अंतर्गत या ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के साथ किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत देय समस्त धनराशियों जिनमें ब्याज, दंडात्मक शुल्क, लागतें, प्रभार औरअन्य समस्त धनराशियां शामिल हैं जो इन शर्तों के अधीन जब और जिस प्रकार देय और बकाया हो सकती हों, के ऋणकर्ता द्वारा देय भुगतान कर दिए जाने और एतद्द्वारा सृजित प्रतिभूति के निस्तारण हेतु कंपनी द्वारा एक प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने तक परिसंपत्ति पर प्रभार प्रभावी और पूर्णतया लागू रहेगा।

h) कंपनी के पक्ष में सृजित प्रतिभूति या बंधक, ऋणियों की मृत्यु, पागलपन, लेनदारों से व्यवस्था, शारीरिक या मानसिक अपंगता, परिसमापन (स्वैच्छिक या अन्य प्रकार से), या किसी विलय या समामेलन, पुनर्गठन, प्रबंधन का अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) से प्रभावित, बाधित या निस्तारित नहीं होगी।

i) ऋणकर्ता सहमत है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि प्रतिभूति, गारंटी या किसी अन्य के रूप में प्रस्तावित परिसंपत्ति के बावजूद वे सदैव निजी रूप से इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को देय समस्त धनराशियों के भुगतान हेतु दायी रहेंगे, जो कंपनी को उपलब्ध हो सकने वाले किन्हीं अन्य अधिकारों या उपचारों से पृथक उनके, उनकी संपदा, और जायदादों के विरूद्ध प्रवर्तित किया जा सकता हो।

j) जहाँ ऋणकर्ता एक कंपनी है, ऋणकर्ता सहमति देता और जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि बंधक के बावजूद ऋणकर्ता/परिसंपत्ति मालिक प्रतिभूतियों पर व उनके संशोधनों का प्रभार सृजित करने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष फार्म सीएचजी-1 दाखिल करेगा।

k) ऋणकर्ता सहमत है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि कंपनी से किए गए किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता का कोई दायित्व होने की स्थिति में, अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति पर कंपनी का सतत प्रभार रहेगा। इसके अलावा, ऋणकर्ता इस पर भी सहमत है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के साथ किए गए समस्त मौजूदा अनुबंधों के संदर्भ में अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति पर कंपनी का सतत प्रभार और अधिकार बना रहेगा।

9. ऋण का परिवर्तन और पुनर्निर्धारण:

a) ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जैसा उपयुक्त पाया जाए, ऐसी अग्रिम अवधियों के लिए सुविधा की समीक्षा करने का पूर्ण विवेकाधिकार कंपनी को प्राप्त है, जिसके लिए उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

b) कंपनी स्वयं या ऋणकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर, यदि ऐसा करना उपयुक्त पाया जाए, ऋणकर्ता की लिखित सहमति प्राप्त करते हुए किश्तों को इस प्रकार व उस सीमा तक जैसा यह तय कर सकती हो, परिवर्तित या पुनर्निर्धारित कर सकती है, जिसके बाद ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान/चुकौती उक्त परिवर्तन और पुनर्निर्धारण के अनुसार, इस अनुसूची में उल्लेखित अन्य समस्त बातों को अप्रभावित रखते हुए की जाएगी। ऋणकर्ता पुनरीक्षित ढांचे के अनुसार पश्च दिनांकित चैकों/ईसीएस या एसीएच/इ-एनएसीएचआदेशों को प्रस्तुत करने सहित पुनरीक्षण की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

c) ऋणकर्ता के द्वारा ऋण पुनर्भुगतान/चुकौती के संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार एतद्द्वारा स्वीकृत ऋण के अलावा व इससे अधिक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत कर सकती है। अतिरिक्त ऋण केवल ऐसे दस्तावेज़ों के निष्पादन पर ही दिया जा सकता है जैसा समय-समय पर कंपनी के प्रचलित क्रेडिट मापदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता हो। इस उपबंध के तहत ऋणकर्ता को अतिरिक्त ऋण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

10. डिफॉल्ट की स्थितियां:

निम्न में से कोई स्थितियां "डिफॉल्ट की स्थितियां" कहलाएंगी:-

a) ऋणकर्ता द्वारा मूलधन, ब्याज, किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान, कंपनी के प्रति ऋणकर्ता के किन्हीं दायित्वों के भुगतान में कोई डिफॉल्ट,;

b) परिसंपत्ति या उसके किसी भाग के मूल्य और बाज़ार कीमत में कोई क्षरण, बदलाव, गिरावट (चाहे वास्तविक हो या तर्कसंगत रूप से अनुमानित) होना, जिसके कारण कंपनी के निर्णयानुसार परिसंपत्ति का मूल्य/विशेषता असंतोषजनक हो जाए;

c) यदि कंपनी की राय में, ऋणकर्ता ने इस प्रकार प्रस्तावित परिसंपत्ति के संबंध में कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण सूचना छिपाई हो जिससे परिसंपत्ति का मूल्यांकन बाधित या दूषित हुआ हो (जिस बारे में कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्णय लेगी), जिसमें अन्य के अलावा किन्हीं मौजूदा प्रभारों, विचलनों, लंबित मुकदमेबाजी, अतिक्रमण, कोई ऋणभार इत्यादि संबंधी सूचनाएं शामिल हैं।

d) यदि कंपनी से पूर्व में स्पष्ट लिखित सहमति प्राप्त किए बिना ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक द्वारा बंधक संपत्ति का किसी भांति विक्रय, भारग्रस्त या हस्तांतरण किया जाए या विक्रय, हस्तांतरण, ऋणभार सृजन का प्रयास किया जाए; या

e) यदि ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक के विरूद्ध कोई कुर्की, आपात बिक्री, निष्पादन या अन्य प्रकार की कार्यवाही की जाए;

f) (यदि ऋणकर्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी हो) और उसके द्वारा कोई ऐसी स्कीम चुनी गई हो या अपने नियोक्ता से कोई ऐसा ऑफर (प्रस्ताव) स्वीकार किया गया हो जो अधिवर्षिता पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने पर कोई लाभ प्रदान करता हो, या किसी भी कारण से नियोक्ता द्वारा ऋणकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिए जाने पर, या किसी भी कारण से जो भी हो, ऋणकर्ता द्वारा अपने नियोक्ता की सेवा से त्यागपत्र दे देने या सेवानिवृत्त हो जाने पर;

g) दिवालिया होना, स्वैच्छिक या अन्य प्रकार से कारोबार समाप्ति/परिसमापन, व्यवसाय में विफलता, दिवालिएपन, सामान्य समनुदेशन की कार्यवाही शुरू कराया जाना, ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक के लेनदारों के लाभार्थ, या यदि ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक द्वारा किसी ऋणदाता का भुगतान निलंबित कर दिया गया हो या ऐसा करने की आशंका व्यक्त की गई हो, इसके द्वारा या उनके विरूद्ध दिवालिया घोषित कराने हेतु कोई याचिका दायर किया जाना, या ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक के परिसमापन हेतु कोई याचिका दायर किया जाना, और स्वीकृत करने के पश्चात 30 दिनों के अदर वापस न लिया जाना;

h) यदि ऋणकर्ता (एक कंपनी होने के कारण), सिवाय कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति के समामेलन या पुनर्गठन के प्रयोजन से परिसमापन कराता है;

i) यदि ऋणकर्ता की पूर्ण संपत्ति/परिसंपत्ति या उसके किसी भाग के संदर्भ में कोई रिसीवर नियुक्त किया गया हो, या यदि ऋणकर्ता/ परिसंपत्ति के मालिक की कुर्की हुई हो या परिसंपत्ति पर कुर्की आरोपित की गई हो;

j) यदि ऋणकर्ता अपना कारोबार समाप्त करता या अपना कारोबार समाप्त करने की आशंका प्रकट करता है;

k) यदि कंपनी द्वारा नियुक्त किसी लेखाकार या लेखाकारों की फर्म (जिसके लिए कंपनी को हकदारिता है और किसी भी समय ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है) द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि ऋणकर्ता की देयताएं ऋणकर्ता की पंरिसंपत्तियों से अधिक हैं या यह कि ऋणकर्ता घाटे में व्यवसाय कर रहा है;

l) कोई ऐसी परिस्थिति या घटना उत्पन्न होने पर जो कंपनी, या ऋणकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति के किसी भाग के हितों के प्रतिकूल, बाधित, या आपद्ग्रस्त या जोखिमग्रस्त करने वाली हो या प्रतिकूल, बाधित, आपद्ग्रस्त, ह्रासित या जोखिमग्रस्त किया जाना संभावित हो;

m) यदि कोई ऐसी परिस्थितियां या घटनाएं उत्पन्न होती हैं जो ऋण या उसके किसी भाग को चुकता करने की ऋणकर्ता की क्षमता को प्रतिकूल या विपरीत प्रभावित करती हैं या कर सकती हों;

n) एतद्द्वारा नियमों और शर्तों के अधीन ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को प्रदत्त या दी जाने वाली कोई पीडीसी/एसीएच/इ-एनएसीएच या ईसीएस आदेश, प्रस्तुत किए जाने पर किसी भी कारण से प्रदान/आदरित/नकदीकृत न हो पाने पर या ऋणकर्ता द्वारा किसी भी कारण से किसी पीडीसी/आदेशों के भुगतान रोक हेतु कोई अनुदेश दिए जाने पर;

o) ऋण या उसके किसी भाग को उससे भिन्न किसी प्रयोजन से उपयोग किए जाने पर, जिसके लिए इसे ऋणकर्ता द्वारा आवेदित और कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है;

p) कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविधान, या ऋणकर्ता के प्रबंधन में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने या ऋणकर्ता के प्रबंधन पर कंपनी का विश्वास कायम न रह जाने पर;

q) ऋणकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी अन्य ऋण/सुविधा/किसी अनुबंध का उल्लंघन किए जाने पर;

r) ऋण प्रदान किए जाने के पश्चात ऋणकर्ता (जहां पति/पत्नी हो) का तलाक हो जाने या इसके लिए या अन्य किसी प्रकार से किसी पारिवारिक न्यायालय में कोई कार्यवाही किए जाने या प्रारंभ किए जाने पर;

s) ऋणकर्ता की मृत्यु/पागलपन या कोई अन्य कानूनी अक्षमता होने पर;

t) यदि ऋणकर्ता द्वारा इस अनुबंध या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ के अंतर्गत उसके कोई दायित्व पूरे करना अवैधानिक करार दिया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति (ऋणकर्ता सहित) के लिए जिसकी परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति सृजित की जानी है, इस अनुबंध के अंतर्गत उनके कोई दायित्व पूरे करना असंवैधानिक करार दिया जाता है;

u) यह अनुबंध या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज़; चाहे ऋणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया हो प्रभावी नहीं रह जाने या गैरकानूनी हो जाने या अमान्य घोषित कर दिए जाने पर, या ऋणकर्ता या गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कारण से अप्रभावी, गैरकानूनी, या अमान्य अभिकथित कर दिए जाने पर;

v) ऋणकर्ता द्वारा कंपनी से किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत कोई डिफॉल्ट किए जाने पर, जिसमें ऋणकर्ता या तो ऋणकर्ता/या गारंटर हो;

w) ऋणकर्ता द्वारा इस अनुबंध या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ से मुकर जाने या इस अनुबंध या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ से मुकरने के इरादे का साक्ष्य प्राप्त होने पर;

x) ऋणकर्ता की स्थिति/दर्जा निवासी से अनिवासी के रूप में परिवर्तित हो जाने पर;

y) कोई ऐसी घटना या घटनाक्रम होने पर जिसके बारे में कंपनी की यह राय हो कि वह ऋणकर्ता की पुनर्भुगतान/चुकौती क्षमता को वास्तव में विपरीत प्रभावित कर सकती है;

aa) कंपनी को प्रदत्त तथ्यों या सूचनाओं का कोई असत्य, गलत अभिवेदन या भ्रामक अभिवेदन या इस अनुबंध में सहमतिप्राप्त प्रसंविदाओं की अवहेलना किया जाना;

bb) यदि ऋणकर्ता को किसी अपराध के लिए किसी विधिक न्यायालय या सरकारी प्राधिकारी द्वारा आरोपित या अभियोजित किया गया हो;

cc) यदि ऋणकर्ता ने कंपनी को पूर्व लिखित सूचना दिए बिना अपना निवास या व्यवसाय/रोजगार/वृत्ति (पेशे) का स्थान परिवर्तित कर लिया हो, या निदेशकों/सदस्यों आदि में परिवर्तन के बारे में कंपनी को लिखित रूप में सूचित करने में विफल रहा हो;

dd) ऋणकर्ता द्वारा इस या किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत जो कंपनी या इसके संबद्धों से किया गया हो, किन्हीं शर्तों को विवादित किए जाने पर;

ee) ऋणकर्ता द्वारा किसी कर, महसूल, ड्यूटी (शुल्क) या अन्य अधिरोपण या प्रभारों/जावकों का भुगतान करने में विफलता या किसी अन्य कानून,विनियमों, कानून के अंतर्गत दृष्टिबंधन के संदर्भ में समय-समय पर पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं का पालन करने में विफलता पर;

ff) प्राकृतिक आपदाएं/दैवी कारण से/नियंत्रण के बाहर/बाज़ार अनिवार्यताओं के कारण होने वाली घटनाएं होने की स्थिति में, (जिस बारे में निर्णय करने का कंपनी को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है);

gg) इस अनुबंध या स्वीकृति की शर्तों के अंतर्गत ऋण के संदर्भ में ऋणकर्ता द्वारा उसकी किन्हीं सकारात्मक या नकारात्मक प्रसंविदाओं, अभिवेदनों, वारंटियों, का पालन करने में उसके द्वारा उल्लंघन, या पालन करने में चूक या डिफॉल्ट किया जाना।

यदि डिफॉल्ट की कोई घटना होती है या कोई घटना जो संज्ञान में आने पर डिफॉल्ट की घटना हुई मानी जाती है तो ऋणकर्ता उसके बारे में अविलंब कंपनी को लिखित में सूचित करते हुए डिफॉल्ट की ऐसी घटना के होने को स्पष्ट करेगा। ऋणकर्ता/गारंटर तब भी कंपनी को त्वरित सूचित करेगा यदि और जब कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों या किसी वाद या कानूनी प्रक्रिया जो ऋणकर्ता/गारंटर के विरूद्ध दायर/प्रारंभ की जानी हो/ के अंतर्गत कार्यसमापन की कोई विधिक नोटिस ऋणकर्ता को प्राप्त होती है।

उक्त घटनाओं/परिस्थियों के घटित होने के प्रश्न के संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम, निर्णायक, और ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

"उक्त उल्लेखित एक या अधिक घटनाओं के होने की स्थिति में, कंपनी के अन्य अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना इसके पास विकल्प होगा कि,

- कंपनी ऋणकर्ता को 7 दिनों का नोटिस जारी करते हुए, मूलधन, प्रोद्भूत ब्याज, तथा ऋणकर्ता द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत और ऋणकर्ता और कंपनी के बीच प्रभावी किन्हीं अन्य अनुबंधों, दस्तावेज़ों के अंतर्गत तथा देय अन्य समस्त धनराशियां घोषित कर सकती है जो ऐसी घोषणा के पश्चात अविलंब बकाया और देय माने जाएंगे;
- निर्दिष्ट समयसीमा में ऋणकर्ता द्वारा धनराशि चुकता करने में विफल रहने पर, कंपनी अपने पक्ष में सृजित प्रतिभूति/यों को कानूनन अनुमति अनुसार प्रवर्तित करने या ऋणकर्ता पर कंपनी के किन्हीं अधिकारों या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकारी होगी।
- कंपनी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम का प्रवर्तन, 2002 के अंतर्गत, जहां भी यह लागू हो, कंपनी प्रतिभूति/यों का कब्जा लेने, उनका सौदा करने और प्रबंधन/परकीयकरण करने के लिए अधिकारी होगी;

प्रतिभूति नकदीकरण के पश्चात कोई कमी रहने की स्थिति में, प्राप्त/वसूल की गई राशि और कंपनी के प्रति देय और बकाया राशियों के बीच किसी अंतर का ऋणकर्ता को अविलंब भुगतान करना होगा। यदि ऐसे समायोजन के पश्चात कोई अधिशेष धनराशि बचती है, तो कंपनी धारणाधिकार के अधिकार और ऋणकर्ता के सापेक्ष समायोजन के विषयाधीन, शेषराशि यदि कोई हो, वह ऋणकर्ता को वापस कर देगी।

इस संबंध में वसूल न की गई धनराशियों की वसूली के लिए कंपनी को ऋणकर्ता को दायी ठहराने का अधिकार है। हालांकि, कंपनी को, देय धनराशि का डिफॉल्ट की तिथि से धनप्रेषण की वास्तविक तिथि तक की अवधि हेतु आगणित, अनुसूची में उल्लेखित डिफॉल्ट दर पर परिकलित ब्याज के साथ कंपनी को भुगतान कर दिए जाने की स्थिति में, ऋणकर्ता द्वारा किए गए डिफॉल्ट/विलंब को माफ करने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

इस पर स्पष्ट रूप से सहमति है और समझ लिया गया है कि किसी डिफॉल्ट की स्थिति में इस अनुबंध के अंतर्गत किसी देय धनराशि हेतु कंपनी द्वारा ऋणकर्ता के विरूद्ध निजी रूप से दावा प्रवर्तित करने के लिए पूर्वस्थापित शर्त नहीं है।

इस अनुबंध में अन्यत्र उल्लेखित समस्त (विवरण) से पृथक, ऐसी समाप्ति के पश्चात ऋण का सांतत्य कंपनी के एकल व पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर होगा और ऋणकर्ता पर बकाया, उस प्रकार कंपनी को देय होगा जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त समय पर निश्चित किया जाए। इसके अलावा, इस अनुबंध में अन्यत्र उल्लेखित समस्त (विवरण) से पृथक, कंपनी किसी समय पर, अपने पूर्ण विवेकानुसार, और बिना कारण बताए जो भी हो, इसके समस्त देयकों के पुनर्भुगतान/चुकौती की मांग कर सकती है और ऋणकर्ता पर बकाया राशि की चुकौती करने के लिए ऋणकर्ता से कह सकती है और ऐसा करने पर ऋणकर्ता तत्काल, इस प्रकार कहे जाने पर वह पूरी धनराशि जो ऋणकर्ता पर बकाया है, बिना किसी विलंब के जो भी हो, चुकता करेगा। ऋणकर्ता द्वारा देय के रूप में उल्लेखित देयकों की धनराशि अंतिम तथा ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

11. अनुबंध के अंतर्गत कंपनी के अधिकार:

a) एतद्द्वारा पूर्वोक्त उल्लेखित किन्हीं शर्तों के उल्लंघन य किन्हीं घटनाओं की स्थिति में, कंपनी अपने विकल्प पर तथा ऋणकर्ता से किसी मांग या नोटिस की अनिवार्यता के बिना, जिन सबके बारे में ऋणकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से छूट दी गई है और इसमें या ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले किन्हीं प्रतिभूति दस्तावेज़ों में उल्लेखित किन्हीं (समस्त) बातों से पृथक, उक्त देयक तथा कंपनी के प्रति ऋणकर्ता के समस्त दायित्व किसी परिपक्वता की सहमति प्राप्त तिथि से पृथक तत्काल देय और बकाया हो जाएंगे और कंपनी, यहां प्रदत्त अपने अधिकारों व प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने की अधिकारी होगी। परिसंपत्ति के विक्रय/प्रतिभूति के प्रवर्तन के प्रयोजन से कंपनी अपने पक्ष में ऋणकर्ता/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले किसी दस्तावेज़ का उपयोग कर सकती है।

ऋणकर्ता/ओं

b) कंपनी अपने स्वयं के विवेकानुसार, कोई कारण बताए बिना और ऋणकर्ता को डाक से नोटिस भेजकर या प्राप्त कराकर एतद्द्वारा स्वीकृत ऋण निरस्त कर सकती है और उसके पुनर्भुगतान/चुकौती की मांग कर सकती है। कंपनी द्वारा इस प्रकार सूचित किया जाना, ऐसे निरस्तीकरण हेतु पर्याप्त नोटिस माना जाएगा और उसके पश्चात उक्त ऋण, उस पर देय और बकाया समस्त ब्याज, और उसके अंतर्गत कंपनी के प्रति ऋणकर्ता की समस्त देयताएं एवं अन्य दायित्व ब्याज व अन्य प्रभारों सहित, ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के प्रति तत्काल बकाया और देय हो जाएंगे।

c) इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त समस्त अधिकार, शक्तियां और किसी अन्य प्रतिभूति, संविधि या कानूनी व्यवस्था के अनुसार कंपनी को प्रदत्त अधिकारों, शक्तियों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे।

d) उक्त वर्णित अधिकारों के अलावा, कंपनी ऋणकर्ता के खर्च पर निम्न को नियुक्त करने की भी अधिकारी होगी: (i) तकनीकी, प्रबंधन या किसी अन्य सलाहकार व्यवसाय में रत किसी व्यक्ति को ऋणकर्ता और/या परिसंपत्तियों जिनमें ऋणकर्ता के परिसर, फैक्टरियां, संयंत्र, मशीनरी और ईकाइयां शामिल हैं, की कार्यप्रणाली का निरीक्षण और परीक्षण करने और कंपनी को रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त करना; (ii) कोई विशेष निर्दिष्ट कार्य करने या ऋणकर्ता द्वारा अपने कार्य हेतु अंगीकृत वित्तीय या लागत लेखा प्रणालियों और प्रक्रियाओं का सहवर्ती या आंतरिक लेखाकारों के रूप में परीक्षण करने या ऋणकर्ता का विशेष लेखापरीक्षण करने के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत अकाउंटेंट नियुक्त किया जाना।

e) इस अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त किसी सुविधा के किसी निलंबन या समाप्ति के बावजूद, कंपनी व इसके हितों के लाभार्थ अन्य समस्त प्रावधान तथा इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त समस्त अधिकार और उपचार, कंपनी द्वारा ऋणकर्ता से समस्त देयक पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए जाने तक दस्तावेज़ों में निहित व्यवस्था के अनुसार पूर्ण प्रभावी और लागू रहेंगे।

f) कंपनी को उपलब्ध अधिकारों और उपचारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमति देता और पुष्टि करता है कि डिफॉल्ट की कोई स्थिति उत्पन्न होने पर, ऋणकर्ता, ऋण को चुकता किए बिना ऋणकर्ता द्वारा वहन किन्हीं अन्य कर्जदारियों (कार्यशील पूंजी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए) को चुकता नहीं करेगा।

g) कंपनी, ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम और लागत पर एक या अधिक व्यक्तियों को ऋणकर्ता पर देयक वसूलने और या ऋणकर्ता द्वारा प्रदत्त किसी प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के लिए नियुक्त करने की अधिकारी होगी और कंपनी (ऐसे प्रयोजन से) ऐसे व्यक्तियों को ऋणकर्ता, प्रतिभूति और/या संपत्ति/यों से संबंधित ऐसी सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े उपलब्ध कराएगी जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए। कंपनी ऐसे व्यक्ति(यों) को उनसे संबंधित या उनके संदर्भ में आकस्मिक समस्त कृत्य, कार्य, मामले और कार्यवाहियां करने के लिए अधिकार और प्राधिकार भी प्रदान कर सकती है जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए।

h) किसी लागू कानून के अंतर्गत प्रतिकूल होने के बावजूद कंपनी, ऋणकर्ता द्वारा किसी भी खाते हेतु जैसा भी हो, जबकि प्रदत्त परिसंपत्ति/अन्य संपत्ति/यों के कंपनी कब्जे में होने के दौरान या उक्तानुसार कंपनी के लिए उपलब्ध किन्हीं अधिकारों और उपचारों के प्रयोग किए जाने या प्रयोग न किए जाने के कारण से किसी हानि, ह्रास या क्षति हेतु किसी भांति दायी/जिम्मेदार नहीं होगी।

i) डिफॉल्ट की कोई घटना होने पर: (a) कंपनी को यह अधिकार होगा और ऋणकर्ता एतद्द्वारा कंपनी को अविकल्पी रूप से प्राधिकृत करता है कि वह ऋणकर्ता की संपत्ति और/या कार्यस्थल पर संपर्क, दौरा करके, नियोक्ता द्वारा ऋणकर्ता को देय वेतनों/मजदूरियों में से ऋणकर्ता के नियोक्ता द्वारा कटौती/यां किए जाने और वह धनराशि सीधे कंपनी को प्रेषित करने की अपेक्षा कर सकती है, जब तक कि ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के प्रति बकाया समस्त देयक पूरी तरह से निस्तारित नहीं हो जाते। ये कटौतियां उस धनराशि और उस सीमा तक की जाएंगी जैसा कंपनी ऋणकर्ता के नियोक्ताओं को अवगत (और अनुदेशित) करेगी। ऋणकर्ता ऐसी कटौतियों के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं उठा/प्रस्तुत कर सकता है। ऋणकर्ता और/या ऋणकर्ता के नियोक्ता पर लागू कोई कानून या संविदा, ऐसी कटौतियां अपेक्षित करने और ऋणकर्ता के नियोक्ता द्वारा कंपनी को भुगतान करने के कंपनी के उक्त अधिकार को किसी भांति प्रभावित या निषिद्ध नहीं कर सकती है। हालांकि इस प्रकार कटौती की जाने वाली उक्त धनराशियां, कंपनी के प्रति ऋणकर्ता के बकाया देयकों के पूर्ण निस्तारण के संदर्भ में अपर्याप्त होने की स्थिति में, कंपनी को देय शेष बकाया धनराशि ऋणकर्ता द्वारा इस प्रकार की जाएगी जैसा कंपनी द्वारा अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्धारित किया जा सकता हो, और तद्नुरूप ऋणकर्ता द्वारा भुगतान किए जाएंगे।

j) अगर बॉरोअर के लोन और/या दूसरे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के बारे में कोई शक, गलत काम या फ्रॉड एक्टिविटी का संकेत मिलता है, तो कंपनी को बॉरोअर के खर्च पर अपने कर्मचारी, एजेंट और/या कंपनी की पसंद के एक्सटर्नल ऑडिटर/अकाउंटेंट के ज़रिए खुद ऑडिट करने का अधिकार होगा। बॉरोअर कंपनी के कर्मचारी, एजेंट, अकाउंटेंट/ऑडिटर को अपने ऑफिस/जगह और उनके सभी रिकॉर्ड तक जाने देगा और उस ऑडिट के लिए उन्हें जो भी जानकारी/रिकॉर्ड चाहिए, वह देगा। कंपनी को अपने कर्मचारी, एजेंट और/या बाहरी ऑडिटर/अकाउंटेंट से मिली ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर या कंपनी के पास मौजूद ज़रूरी सामान/रिकॉर्ड और अपनी जांच/असेसमेंट के आधार पर, अगर जमा की गई ऑडिट रिपोर्ट का कोई नतीजा नहीं निकलता है या बॉरोअर के सहयोग न करने की वजह से उसमें देरी होती है, तो कंपनी यह नतीजा निकालेगी कि लोन अकाउंट फ्रॉड है या नहीं। कंपनी लोन अकाउंट को फ्रॉड या कुछ और मानने के लिए RBI की मौजूदा गाइडलाइंस को मानेगी।

k) अगर बॉरोअर के पास एक से ज़्यादा लोन अकाउंट हैं या बॉरोअर की ग्रुप कंपनी(यों) के कंपनी में लोन अकाउंट हैं, और अगर बॉरोअर के एक लोन अकाउंट को कंपनी फ्रॉड के तौर पर पहचानती है, तो कंपनी बॉरोअर/उसकी ग्रुप कंपनी(यों) के दूसरे अकाउंट्स के बारे में ऊपर बताया गया ऑडिट करने/जांच करने की हकदार होगी, जिसमें बॉरोअर के एक या ज़्यादा प्रमोटर/होल-टाइम डायरेक्टर कॉमन हों।

l) कंपनी बॉरोअर/उसकी ग्रुप कंपनियों के लोन अकाउंट्स में फ्रॉड की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस, दूसरी संबंधित अथॉरिटी और/या RBI जैसी सही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी(यों) को करने की भी हकदार होगी।

ऋणकर्ता/ओं

12. विनियोजनः

कंपनी को इस अनुबंध के अंतर्गत किसी बकाया और देय तथा ऋणकर्ता द्वारा देयकों के सापेक्ष किए गए किसी भुगतान को उस क्रम में विनियोजित करने का अधिकार होगा, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाएः

i. देय मूलधन का पुनर्भुगतान/चुकौती

ii. ब्याज

iii. दण्डात्मक शुल्क, यदि कोई हो

iv. लागतों, प्रभारों, व्ययों और अन्य धनराशियों पर ब्याज।

v. समयपूर्व संवरण (समापन) पर प्रीमियम, यदि लागू हो।

vi. लागतें, प्रभार, व्यय तथा अन्य धनराशियां।

इस बारे में पक्षों के बीच विशेषरूप से सहमति है कि यदि ऋणकर्ता ने इस अनुबंध के अतिरिक्त अपने नाम से या अपने साझेदारों, रिश्तेदारों, नामितों या प्रतिनिधियों के माध्यम से, कंपनी के साथ कोई अन्य अनुबंध/किया है या भविष्य में करता है जिसमें ऋणकर्ता/किराएदार/पट्टेदार या गारंटर के रूप में हो तो:

a) ऋणकर्ता/या उसके रिश्तेदारों, साझेदारों, नामितों, प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत किया गया कोई भुगतान केवल एक "खाते में भुगतान" माना जाएगा और ऋणकर्ता, उसके/उनके साझेदारों, नामितों या प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए किन्हीं विशिष्ट विपरीत अनुदेशों के बावजूद कंपनी द्वारा इसे अपने विवेकानुसार ऋणकर्ता, उसके/उनके रिश्तेदारों, साझेदारों, नामितों, या प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए किसी अनुबंध के खाते में, अनुबंध के कार्यकाल में या इसके पश्चात, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त समझा जाए, विनियोजित किया जाएगा।

b) ऋणकर्ता या उसके/उनके रिश्तेदारों, साझेदारों, नामितों, या प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत, ऐसे अनुबंध/धों के अंतर्गत कंपनी के अन्य निहित अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, बकाया देयकों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति अपने कब्जे/पुनर्कब्जे में लेने/विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी, चाहे इस अनुबंध के अंतर्गत समस्त देय और बकाया धनराशियों का भुगतान किया जा चुका हो और निपटान हो चुका हो।

c) कंपनी के साथ किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता या परिसंपत्ति के मालिक, जैसा भी मामला हो सकता हो, द्वारा सृजित प्रभार, जारी रहेंगे और अनुबंध पूर्ण हो जाने पर भी कंपनी को इस अनुबंध के अंतर्गत बकाया देयकों की प्राप्ति हेतु ऋणकर्ता से किसी अन्य अनुबंध के मद्देनज़र, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रोकने और परिसंपत्तियों को पुनः कब्जे में लेने तथा विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

d) यहां उल्लेखित कंपनी के अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमत हैं और सम्मति प्रदान करते हैं कि इस अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति, कंपनी के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत समस्त बकाया कर्जों, यदि कोई हों, के सापेक्ष भी एक सतत प्रतिभूति के रूप में प्रभावी रहेगी और इस अनुबंध के अंतर्गत डिफॉल्ट की कोई घटना न होने के बावजूद, किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्तापर समस्त बकाया राशियों के निपटान के लिए कंपनी को इस अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति को तरलीकृत (नकदीकृत) करने और विनियाजित करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा।

13. ऋणकर्ता के अभिवेदन और वारंटियां और प्रसंविदाएं:

ऋणकर्ता एतद्द्वारा निम्नानुसार वक्तव्य, आश्वासन और प्रसंविदा करता है:

a) यह कि ऋणकर्ता (i) की मनोदशा सही और पूरे होशोहवास में है (जहां ऋणकर्ता एक व्यक्ति है); (ii) लागू कानून के अंतर्गत समुचित गठित और निगमित एक निकाय है (जहां ऋणकर्ता एक कंपनी/सीमित देयता साझेदारी फर्म/अन्य निगमित निकाय है); (iiiभारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की परिभाषा के अंतर्गत एक साझेदारी फर्म है जिसमें शामिल व्यक्ति अनुसूची में उल्लेखित व्यक्ति साझेदार/साझेदारों के रूप में है (जहां/ऋणकर्ता एक साझेदारी फर्म है); और यह अनुबंध करने और इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्व निष्पादित करने में सक्षम है और पर्याप्त कानूनी शक्ति है।

b) ऋणकर्ता की ओर से इस अनुबंध और समस्त दस्तावेज़ों का निष्पादन करने वाला/वाले व्यक्ति ऐसा करने के अधिकारी है/हैं और यह अनुबंध तथा अन्य समस्त दस्तावेज़ और विलेख हस्ताक्षरित करने के लिए समुचित प्राधिकृत है/हैं। यह कि इस अनुबंध का निष्पादन, किसी कानूनी/संवैधनिक दस्तावेज़, यदि कोई हो, या ऋणकर्ता पर बाध्यकारी किसी अन्य दस्तावेज़ के विरोधाभासी नहीं होगा। ऋणकर्ता को किसी कानून, संविधि, न्यायिक निर्णय, डिक्री, व्यवस्था, संविदा या अन्य प्रकार से किसी भांति इस अनुबंध में स्थापित प्रकार से दायित्व निष्पादित करने व उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने से निषिद्ध या रोका नहीं गया है। निष्पादन पर, यह अनुबंध, ऋणकर्ता की वैध और कानूनी बाध्यकारी प्रतिबद्धता होगी जो इस अनुबंध के कार्यकाल में उसके विरूद्ध प्रवर्तनीय होगी। यह कि ऋणकर्ता ने इस अनुबंध के निष्पादन और क्रियान्वयन के लिए समस्त सहमतियां प्राप्त कर ली हैं और इस अनुबंध, संपार्श्विक दस्तावेज़ों, तथा दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के संबंध में समस्त प्राधिकारों, अनुमोदनों, सहमतियों, अनुज्ञप्तियों, और अनुमतियों को पूर्ण प्रभावी व प्रवर्तनीय बनाने के लिए समस्त अनिवार्य कार्यवाही कर ली है।

c) ऋण का उपयोग केवल ऋणकर्ता द्वारा इस अनुसूची में उल्लेखित प्रयोजन से ही किया जाएगा और उसका उपयोग किन्हीं पूर्वानुमान (सट्टेबाजी)/असामाजिक/गैरकानूनी गतिविधियों सहित किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

d) ऋणकर्ता, अनुमोदित ऋणसीमाओं में है और यह कि ऋणकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ओर से ऋणशक्तियों की कोई अनुपस्थिति या अपुष्टि, या उनके प्रयोग में कोई अनियमितता, ऐसी अनुपस्थिति, अशक्तता या अनियमितता के बावजूद इस अनुबंध

के अंतर्गत ऋणकर्ता के सापेक्ष कंपनी को प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

e) यह कि बंधक संपत्ति ऋणकर्ता और/या परिसंपत्ति के मालिक द्वारा उसके पूर्ण मालिक/कों के रूप में अवधारित है और न्यासी या संरक्षक या किसी अन्य विश्वासी क्षमता में अवधारितन हीं है और यह कि परिसंपत्ति हकदारिता में समस्त ऋणभारों, और दोषों से मुक्त है और इसके अलावा परिसंपत्ति के संदर्भ में वक्तव्य व आश्वासन देते हैं कि:

- परिसंपत्ति, ऋणकर्ता/ओं/परिसंपत्ति का/के मालिक के अधिकार और कब्जे में है या वे अन्य प्रकार से, भूमि तथा अन्य अचल संपत्तियों व उस पर समस्त भवनों व संरचनाओं के साथ, जिनके बारे में यहां सह लिखित अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित किया गया है, के समुचित रूप में हकदार हैं;
- परिसंपत्ति को विशेष रूप से केवल कंपनी के पक्ष में हकदारिता विलेख जमा करते हुए बंधक रखा जाएगा, जिसमें निर्मित क्षेत्र पर एक प्रभार भी शामिल होगा जिसके लिए (भूमिपर) निर्मित हेतु अनुमति आवश्यक नहीं होगी;
- नगरीय भूमि (सीलिंग और नियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधान, अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति/यों पर लागू नहीं होंगे। (या)
- ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक ने नगरीय भूमि (सीलिंग और नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भूमियों को उसमें निर्दिष्ट सीमाओं से अलग रखने के लिए अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन किया है।
- परिसंपत्ति समस्त ऋणभारों या प्रभारों (वैधानिक या अन्य प्रकार के), दावों और मांगों से मुक्त है और यह कि वह या उन में से कोई या उनका/उनके कोई भाग किसी न्यायालय या अर्ध-न्यायिक या किसी अन्य प्राधिकारी या विवाचन अधिकरण द्वारा जारी किसी जब्ती (निस्तारण) कुर्की या किसी अन्य कार्यवाही के विषयाधीन नहीं हैं और यह कि ऋणी परिसंपत्ति के मालिक/कों ने उनके संबंध में किसी न्यास का सृजन नहीं किया है और यह कि उक्त संपत्ति/यां उनकी खरीद/अर्जन/पट्टे की तिथि से विशिष्ट रूप से अबाधित और अव्यावधानित रूप से ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक/कों के कब्जे में और उपयोगाधीन हैं और उक्त परिसंपत्ति या उनके या उसके किसी भाग के संदर्भ में ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक/कों के विरूद्ध कोई विपरीत दावा नहीं किया गया है और उनके संबंध में कोई अर्जन या अधियाचन का नोटिस नहीं जारी किया गया है और आयकर अधिनियम, 1961 या तत्समय भारत में प्रवर्तित किसी अन्य कानून के अधीन ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक/कों के विरूद्ध कोई कार्यवाही लंबित या प्रारंभन हीं की गई है और यह कि परिसंपत्ति या उनमें से कोई या उसके किसी भाग के विरूद्ध कोई भी कुर्की लंबितन हीं है जो निर्गत या प्रारंभ की गई हो। ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक/कों के विरूद्ध कोई मुकदमेबाजी, विवाचन, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाहियां प्रारंभ किए जाने पर ऋणकर्ता, कंपनी को तत्काल सूचित करेगा।
- ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक/कों का उक्त प्रतिभूति पर स्पष्ट व विपणन योग्य हक है और उसके संज्ञान में कोई ऐसा कृत्य, कार्यवाही, मामला या कार्य या परिस्थिति नहीं है जो ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक/कों को कंपनी के पक्ष में बंधक द्वारा प्रतिभूति करने और प्रभार सौंपने से निषिद्ध करती हो और किसी भी समय आवश्यकता होने पर यदि कंपनी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक को परिसंपत्ति पर स्पष्ट और विपणन योग्य हक साबित करके कंपनी को संतुष्ट करना होगा।
- ऋणकर्ता ने समस्त किरायों, रॉयल्टी, और समस्त सार्वजनिक मांगों, जिनमें भविष्य निधिदेयक, उपादान देयक, कर्मचारी राज्य बीमा देयक, आयकर, बिक्रीकर, निगम कर व अन्य समस्त कर और राजस्व जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय हों, का समुचित भुगतान कर दिया है और ऐसे कोई बकाया देयक, किराए, रॉयल्टी, कर और राजस्व देय और अधिशेष नहीं हैं और किसी कर देयक या अन्य सरकारी राजस्व के संदर्भ में ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक को कोई अटैचमेन्ट या वारंट नहीं दिया गया है।
- ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक ने कंपनी के पक्ष में संपत्ति के परकीयकरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281 (i) (ii) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में आयकर प्राधिकारियों से अभीष्ट सहमति प्राप्त कर ली है।
- कि परिसंपत्ति ऋणकर्ता/मालिक या उनके संबंधित प्रवर्तकों के साथ किए गए किसी अनुबंध में अनिस्तारण वचनबद्धता के अंतर्गत नहीं है और यह कि ऋणकर्ता/मालिक को कंपनी के पक्ष में बंधक सृजित करने के लिए किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

f) ऋणकर्ता/परिसंपत्ति का मालिक, परिसंपत्ति के कब्जे या प्रतिभूति या उसके किसी भाग के संबंध में कोई विक्रय, ऋणभार सृजन, प्रभार, हस्तांतरण, आवंटन, बंधक, रेहन, दृष्टिबंधन, किराए पर देना या समर्पण करना या ऐसा ही कोई अन्य कार्य नहीं करेगा।

g) परिसंपत्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकार, या सुधार ट्रस्ट (नयास) या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकारी की किसी योजना में सम्मिलित या उससे प्रभावित नहीं है, जिसमें केंद्र/राज्य सरकार या किसी निगम या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी योजना के अंतर्गत रास्ते का संरेखण, चौड़ीकरण, या निर्माण शामिल है।

h) परिसंपत्ति अच्छी दशा और हालत में रखी जाएगी और ऋण सांतत्य के दौरान उसमें सभी अनिवार्य मरम्मत, संवर्धन और सुधार कार्य कराए जाएंगे और कंपनी को समय-समय पर सूचित किया जाएगा और इसके अलावा ऋणकर्ता/मालिक, परिसंपत्ति या उसके किसी भाग की कोई कुर्की या आपात बिक्री नहीं होने देगा या ऐसा कुछ भी होना अनुमत नहीं करेगा जिससे यह प्रतिभूति प्रतिकूल प्रभावित या आपद्ग्रस्त हो सके।

i) ऋणकर्ता/मालिक परिसंपत्ति का किसी अनुचित या अवैध या गैरकानूनी गतिविधियों से उपयोग नहीं करेगा या किसी ऐसे कृत्य हेतु परिसंपत्ति में बदलाव नहीं करेगा जो अनुचित या अवैध या गैरकानूनी हो।

j) ऋणकर्ता उन पर और उनके व्यवसाय पर या परिसंपत्ति पर बाध्यकारी लागू कानूनों, विनियमों, संगठन के उपनियमों के समस्त

नियमों और शर्तों का समुचित और समयबद्ध रूप से पालन करेगा और अन्य देयकों की तरह ही प्रतिभूति रखने संबंधी प्रभारों का भी भुगतान करेगा जो प्रतिभूति और/या उसके उपयोग के संदर्भ में बकाया हो सकते हों।

k) ऋणकर्ता ने किसी सरकार, स्थानीय निकाय या प्राधिकारी को देय समस्त करों, जावकों, सार्वजनिक मांगों, और वैधानिक देयकों के भुगतान किए हैं और भुगतान करेगा और किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की ओर से कोई मांग, दावा या नोटिस प्राप्त नहीं किया है और कंपनी द्वारा मांग किए जाने के समय ऐसे भुगतानों की पावती (रसीदें) प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, मासिक किश्तों में किन्हीं दरों, प्रभारों, महसूल, अधिभारों (लेवी) और धनराशियों जैसा भी हो, के अनुसार स्वतः वृद्धि होगी जो किश्तों पर या इस अंतरण/सौदे पर सरकार द्वारा लगाई गई हों या लगाई जा सकती हों या जो इस अनुबंध में सम्मिलित होने के कारण से कंपनी को देय हो सकती हों।

l) यह कि ऋणकर्ता, कंपनी के पक्ष में परिसंपत्ति के प्रभावी बंधकीकरण के लिए ऐसे सभी कृत्य, विलेख, आश्वस्तियां, मामले और कार्य करेगा और ऐसे समस्त फार्म, पत्र और अन्य लिखित दस्तावेज़ निष्पादित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की संतुष्टि के स्तर तक समस्त प्रभारों के साथ ऋण का पूर्णतया पुनर्भुगतान/चुकौती हो जाने तक उक्त बंधक कंपनी के पक्ष में निरंतर पंजीकृत रहे।

m) यह कि ऋण प्राप्त करने तथा प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्ति के प्रावधान हेतु प्रस्तुत समस्त सूचनाएं और दस्तावेज़ सत्य, पूर्ण, सही तथा शुद्ध हैं और भ्रामक नहीं हैं और कोई ऐसा यथार्थ तथ्य छिपाया नहीं गया है जिससे कोई तथ्य या वक्तव्य भ्रामक हो सकता हो और कंपनी के कब्जे में ऐसी सूचनाएं और दस्तावेज़ केवल ऋणकर्ता द्वारा दिए माने जाएंगे।

n) डिफॉल्ट की कोई घटना (जैसा यहाँ से आगे स्पष्ट किया गया है) नहीं हुई है और यदि डिफॉल्ट की कोई घटना होती है या होने की संभावना बनती है तो ऋणकर्ता कंपनी को तत्काल सूचित करेगा।

o) यह कि ऋणकर्ता एक साधारण निवासी भारतीय नागरिक है और इस सुविधा की अवधि के दौरान इसी प्रकार बना रहेगा। तत्समय प्रवर्तित नियमों के अनुसार समस्त ऋण व ब्याज तथा पुनर्भुगतान/चुकौती प्रभारों सहित अन्य देयकों और प्रभारों का पूरा भुगतान किए बिना ऋणकर्ता रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत नहीं छोड़ेगा या लंबे समय तक विदेश में नहीं रहेगा।

p) ऋणकर्ता ने किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी धनराशि के भुगतान में चूक नहीं की है और किसी ऐसे व्यक्ति (चाहे उनकी निजी क्षमता में हो या उनके नियंत्रण में किन्हीं अन्य व्यक्तियों के माध्यम से) के साथ किसी अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है जिसने ऋणकर्ता के अनुरोध पर ऋणकर्ता को कोई ऋण, जमा, अग्रिम गारंटी, या अन्य वित्तीय सुविधा प्रदान की हो। इस अनुबंध के निष्पादन से पूर्व, ऋणकर्ता ने उक्त समस्त सुविधाओं, यदि कोई हों, के संबंध में विवरण प्रकट कर दिए हैं।

q) बॉरोअर/डिसॉल्यूशन, मर्जर या अमेलगमेशन/रीऑर्गेनाइजेशन या अन्यथा, या मैनेजमेंट का टेकओवर, या बॉरोअर के अंडरटेकिंग का नेशनलाइजेशन, जैसा भी मामला हो।

r) कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह जानबूझकर लोन न चुकाने पर कर्जदार को जानबूझकर लोन न चुकाने वाला घोषित करे और इसकी रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (CIC) को दे। साथ ही, जानबूझकर लोन न चुकाने वाले का नाम, फोटो (जिसमें कर्जदार के मालिक/पार्टनर/डायरेक्टर/प्रमोटर/उधारदार के मामलों के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार लोग, जिन्हें जानबूझकर लोन न चुकाने वाला घोषित किया गया है, शामिल हैं) अखबारों में और/या अपने विवेक के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, किसी भी दूसरे तरीके से पब्लिश करे।

'जानबूझकर लोन न चुकाने वाला' और 'जानबूझकर लोन न चुकाने वाला' शब्दों का वही मतलब होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक (जानबूझकर लोन न चुकाने वालों और बड़े लोन न चुकाने वालों का इलाज) निर्देश, 2024, जिसे समय-समय पर बदला या हटाया गया है, के तहत दिया गया है।

जानबूझकर लोन न चुकाने वाले के वर्गीकरण के बारे में, कर्जदार यह भी वादा करता है कि:

i. न तो बॉरोअर और न ही उसके किसी डायरेक्टर/प्रमोटर/पार्टनर/बॉरोअर के मामलों के मैनेजमेंट के इंचार्ज/ज़िम्मेदार व्यक्ति को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। बॉरोअर ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम RBI/CIC की विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट में हो, कंपनी होने पर डायरेक्टर के तौर पर या पार्टनरशिप फर्म होने पर पार्टनर के तौर पर या अपने मामलों के मैनेजमेंट के लिए इंचार्ज और ज़िम्मेदार के तौर पर शामिल नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस तरह से बॉरोअर का डायरेक्टर/पार्टनर/इंचार्ज नियुक्त किया गया है और जो अब भी बना हुआ है, विलफुल डिफॉल्टर पाया जाता है, तो बॉरोअर को उस व्यक्ति को डायरेक्टर/पार्टनर/इंचार्ज और मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार के तौर पर हटाने के लिए तेज़ी से और असरदार कदम उठाने होंगे। यह साफ़ किया जाता है कि किसी भी हालत में, कंपनी बॉरोअर को दी गई मौजूदा क्रेडिट सुविधाओं को रिन्यू/बढ़ाएगी/नए क्रेडिट नहीं देगी या रीस्ट्रक्चर नहीं करेगी, जब तक कि उसके प्रमोटर और/या डायरेक्टर और/या एंटिटी के मामलों के मैनेजमेंट के इंचार्ज और ज़िम्मेदार व्यक्ति का नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में बना रहे।

ii. लोन या उसका कोई भी हिस्सा सिर्फ़ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए उसे मंज़ूर किया गया है और लोन को "डायवर्ट" या "साइफन ऑफ़" नहीं किया जाएगा या किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर कंपनी बॉरोअर के ऑडिटर से बॉरोअर द्वारा फंड के डायवर्जन/साइफनिंग के बारे में कोई खास सर्टिफ़िकेशन चाहती है, तो कंपनी को इस मकसद के लिए बॉरोअर के ऑडिटर को एक अलग मैंडेट देने का अधिकार होगा। लेकिन, अगर कंपनी चाहे, तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह बॉरोअर के अकाउंट्स का ऑडिट अपनी पसंद के किसी भी कर्मचारी/चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर

ऋणकर्ता/ओं

से करवाए, ताकि बॉरोअर के खर्च पर फंड के डायवर्जन/साइफनिंग की जांच की जा सके। बॉरोअर कंपनी के कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर को अपने ऑफिस/जगह और उनके सभी रिकॉर्ड तक पहुंचने देगा और इस मकसद के लिए उन्हें जो भी जानकारी/रिकॉर्ड चाहिए, वह देगा।

s) यह कि कंपनी को ऋणकर्ता के समस्त संबंधित खातों पर धारणाधिकार का अधिकार प्राप्त है जिसमें ऐसे अन्य खाते सम्मिलित हैं जो बाद में (सृजित) किए गए हो सकते हों/बाद में ऋणकर्ता से संबंधित पाए जा सकते हों (इस संदर्भ में संबंधित खातों का आशय उन सभी खातों को सम्मिलित करते हुए है जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 में यथानिर्दिष्ट अनुसार ऋणकर्ता या उनका/उसका कोई रिश्तेदार एक गारंटर और गारंटर एक ऋणकर्ता है, या उनका कोई साझेदार, कंपनी से प्राप्त की गई किसी वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ऋणकर्ता/गारंटर है)

t) कि कंपनी, या कंपनी के किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजे जाने वाले समस्त खाता विवरण ऋणकर्ता को स्वीकार्य होंगे और ऋणकर्ता पर किसी बकाया दावा धनराशि की सत्यता का निर्णायक साक्ष्य होंगे।

u) यह कि कोई नोटिस या पत्राचार, ऋणकर्ता द्वारा दिए गए पते पर किया जाएगा और इसे प्रेषण के पश्चात 3 दिनों के अंदर प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ माना जाएगा और ऋणकर्ता के पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में,उन्हें कंपनी को इस बारे में अविलंब सूचित करना होगा जिसमें विफल रहने पर उनके द्वारा दिए गए अंतिम पते पर प्रेषित नोटिस या पत्र उनको प्राप्त कराया गया माना जाएगा।

v) ऋणकर्ता कंपनी को कोई चैक प्रस्तुत करने से मना करने और/या "भुगतान रोक" अनुदेशों के रूप में बैंक को कोई भुगतान अनुदेश प्रदान करने या किसी भी कारण से जैसा भी हो, अधिकारी नहीं होगा और यदि ऋणकर्ता ऐसा करता है, तो कंपनी उसके बावजूद चैक(कें) प्रस्तुत करने और/या भुगतान हेतु कंपनी को दिए किन्हीं अनुदेशों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकारी होगी।

w) ऋणकर्ता इस पर सहमत है कि कंपनी से पूर्व लिखित सहमति के बिना, वह उधार ली गई धनराशि या अन्य प्रकार से कोई दीर्घकालीन कर्जदारी सृजित, स्वीकार या वहन नहीं करेगा और अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से कोई धनराशि उधार लेने से पूर्व कंपनी से लिखित अनुमति प्राप्त करेगा।

x) यह कि ऋण के संदर्भ में किश्तों और अन्य धनराशियों को कंपनी द्वारा प्राप्त/वसूल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए ऋणकर्ता सदैव अपने/इसके बैंक खाते में पर्याप्त निधियां रखेगा।

y) लागू सीमा तक, अनुबंध के अंतर्गत सुविधा की प्राप्ति और अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वाहन निजी और वाणिज्यिक कृत्य होगा और निजी और वाणिज्यिक प्रयोजनों से किया जाएगा।

z) ऋणकर्ता मानक नियमों तथा सौदे से संबंधित अन्य दस्तावेज़ों के संदर्भ में किसी वाद, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से खुद को या अपनी संपत्ति/यों को रक्षित रखने का अधिकारी नहीं है और ऐसा दावा नहीं कर सकता है।

aa) ऋणकर्ता, कंपनी के प्रतिनिधियों और/या नामितों को समय-समय पर, उस परियोजना हेतु जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया है, ऋणकर्ता के परिसरों, फैक्टरियों और अन्य संपत्ति/परिसंपत्तियों का भ्रमण करने तथा लेखा पुस्तकों, और अन्य समस्त संबंधित खातों, दस्तावेज़ों और रिकॉर्डों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसे भ्रमणों और/या निरीक्षणों के व्यय ऋणकर्ता द्वारा चुकता और वहन किए जाएंगे।

bb) ऋणकर्ता कंपनी के क्रेडिट संबंधी मानकों की अनुपालना करेगा और वे उस पर बाध्यकारी होंगे, जैसा कंपनी द्वारा समय-समय पर लागू किया जा सकता हो।

cc) ऋण धनराशि, ब्याज दर, ब्याज दर परिवर्तन का निर्धारण कंपनी के पूर्ण विवेकानुसार किया जाएगा और ऋणकर्ता इसे विवादित नहीं करेगा।

dd) यदि ऋणकर्ता दिवालिया होने/ऋणकर्ता के कारोबारी परिसमापन के संबंध में आवेदन का नोटिस/दायर या दायर की जाने वाली याचिका प्राप्त करता है, या यदि ऋणकर्ता के विरूद्ध दाखिल या दाखिल या प्रारंभ की जाने वाली किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही का नोटिस ऋणकर्ता को प्राप्त होता है या यदि ऋणकर्ता की किसी संपत्ति, व्यवसाय या उपक्रम पर कोई अभिरक्षक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है, या यदि ऋणकर्ता की संपत्तियों, व्यवसाय या उपक्रम का/के कोई भाग संबद्ध किए जाते हैं तो वह कंपनी को तत्काल सूचित करेगा।

ee) यह कि ऋणकर्ता एक अविकल्पी मुखतारनामा निष्पादित करेगा/परिसंपत्ति के मालिक द्वारा इसे कंपनी के पक्ष में निष्पादित करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनी वे सभी कार्य करेगी जो अनिवार्य समझे जा सकते हों, और जो ऋणकर्ता/मालिक की मृत्यु/विघटन/परिसमापन द्वारा रद्द नहीं होगा और ऋणकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक की मृत्यु/विघटन/परिसमापन के बावजूद कंपनी उक्त मुखतारनामे के अनुपालन में बंधक संपत्ति का विक्रय कर सकेगी।

ff) ऋणकर्ता किसी के लिए जमानत या किसी सुविधा के पुनर्भुगतान/चुकौती/भुगतान की गारंटी नहीं देगा।

gg) ऋणकर्ता ऋण शर्तों के अनुपालन में ऐसी समस्त सूचनाएं, वित्तीय विवरण, ब्यौरे, प्राक्क्लन और रिपोर्टें इत्यादि प्रस्तुत करेगा जैसा समय-समय पर कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो और कंपनी की संतुष्टि के स्तर तक कंपनी के समक्ष वांछित स्वरूप में और विवरणों के साथ ऋणकर्ता के अनंकेक्षित त्रैमासिक आय विवरण प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के समापन के पश्चात 30 (तीस) दिनों के अंदर प्रस्तुत करेगा और अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां तुलन-पत्र और लाभ हानि खाते (विस्तृत रूप में, और संक्षिप्त रूप में नहीं) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 120 (एक सौ बीस) दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

hh) ऋणकर्ता, ऋणकर्ता के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों या अन्य संवैधानिक दस्तावेज़ों और उपबंधों में, कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति लिए बगैर कोई परिवर्तन नहीं करेगा;

ऋणकर्ता/ओं

ii) ऋणकर्ता, अपने व्यवसाय के प्रबंधन में, कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति लिए बगैर कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं करेगा;

jj) ऋणकर्ता, के स्वामित्व या नियंत्रण में ऋणकर्ता, कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति लिए बगैर कोई ऐसा परिवर्तन अनुमत नहीं करेगा जिससे ऋणकर्ता का प्रभावी लाभार्थी स्वामित्व या नियंत्रण परिवर्तित हो जाए;

kk) ऋणकर्ता देय तिथि पर बकाया मूलधन या इस पर शेष ब्याज की कोई किश्त बकाया रहने तक किसी लाभांश की घोषणा नहीं करेगा

ll) इसके अलावा ऋणकर्ता एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रसंविदा करता है कि:

(ऋणकर्ता के साझेदारी फर्म होने की स्थिति में लागू)

ऋणकर्ता सहमति प्रदान करता है कि अनुबंध के सांतत्य/वैधता के दौरान साझेदारी फर्म के संविधान में ऐसा कोई भी परिवर्तन, जो भी हो, लागू नहीं करेगा जो इसके किन्हीं या सभी साझेदारों की देयता बाधित या निस्तारित करता हो। किसी साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में, कंपनी सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार या दिवंगत वंशजों और कानूनी प्रतिनिधियों, निष्पादकों, प्रशासकों के विरूद्ध अपने अधिकारों को प्रभावित किए बिना उत्तरजीवी और/या सतत साझेदार/रों से अपने विवेकानुसार जैसा उपयुक्त पाया जाए, व्यवहार करेगी और ऐसे व्यवहार के संबंध में सेवानिवृत्त साझेदार औरया/मृत साझेदार के वंशजों, निष्पादकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों का कंपनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले साझेदार यह पुष्टि करते हैं कि: (i) वे अनुबंध की अनुसूची में नामित फर्म के एकमात्र साझेदार हैं; (ii) साझेदारी फर्म, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत समुचित रूप में पंजीकृत है। (iii) वे साझेदारी में हो सकने वाले किन्हीं संभावित परिवर्तनों के बारे में कंपनी को लिखित में अवगत कराएंगे; (iv) वे कंपनी से अनुमोदन लिए बगैर साझेदारी फर्म को विघटित/पुनर्गठित नहीं करेंगे; (v) अनुबंध के अंतर्गत समस्त दायित्वों के निष्पादन हेतु समस्त साझेदार संयुक्त और पृथक रूप से कंपनी के प्रति दायी होंगे।

(ऋणकर्ता के एक एचयूएफ होने की स्थिति में लागू)

एचयूएफ के संविधान में कोई परिवर्तन होने के समय कंपनी को सदैव अनिवार्य दस्तावेज़ और लिखित विवरण प्रस्तुत करते हुए सूचित किया जाएगा। ऋणकर्ता सहमति प्रदान करता है कि दस्तावेज़ों के सांतत्य/वैधता के दौरान एचयूएफ (अनुबंध सुविधा की अनुसूची में नामित) के संविधान में कोई परिवर्तन, जैसा भी हो, एचयूएफ के किन्हीं या समस्त वयस्क सदस्यों/सहदायिकों (सहसमांशभागियों) की देयता निस्तारित नहीं करेगा और एचयूएफ, इसकी जायदाद, संपत्ति और उत्तरवर्तियों पर प्रभावी रहेगा। अनुबंध और दस्तावेज़ एचयूएफ के कर्ता, या कर्ता के किसी उत्तराधिकारी, या एचयूएफ कर्ता के समस्त वयस्क सह-समांशभागियों/सदस्यों, के लिए प्रवर्तनीय होंगे और एचयूएफ के कर्ता तथा निजी रूप में, तथा संयुक्त एचयूएफ के अन्य वयस्क सदस्य/सहसमांशभागी, कंपनी के समक्ष निम्नानुसार घोषित, याचित और पुष्टि करते हैं कि:

i. वे एचयूएफ के सदस्य/सहसमांशभागी हैं;

ii. अनुबंध के हस्ताक्षरी, वर्तमान में एचयूएफ के समस्त वयस्क सदस्य हैं;

iii. अनुबंध की अनुसूची में वर्णित नाम और प्रकार से संचालित व्यवसाय उनका संयुक्त पारिवारिक व्यापार है जो पुश्तैनी व्यापार/व्यवसाय होने के नाते अल्पवयस्क सदस्यों पर बाध्यकारी है, अनुबंध एचयूएफ के लिए तथा उसकी ओर से किया गया है और अनुबंध में अपेक्षित सौदे (लेन-देन) उक्त संदर्भित एचयूएफ व्यवसाय/व्यापार के भाग हैं;

iv. उक्त उल्लेखित एचयूएफ व्यवसाय/कारोबार एचयूफ के वयस्क सदस्यों/सहसमांशभागियों द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है और वे सभी लोग संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से प्रतिभूति के विरूद्ध या अन्य प्रकार से दस्तावेज़ों की शर्तों का पालन करने की शक्ति रखते हैं और समस्त अनिवार्य इंस्ट्रूमेख, न्टस, विलेदस्तावेज़ और लेख निष्पादित करने, और ऐसे समस्त कृत्य, मामले और कार्य करने जो लेनदेन दस्तावेज़ों की शर्तों के निष्पादन के लिए अनिवार्य या आकस्मिक हों, शक्ति रखते हैं और साथ ही चैक, बिल, प्रो-नोट्स, विनिमय बिल और अन्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट्स निष्पादित, आहरित, पृष्ठांकित, मोलभाव और विक्रय करने के लिए अधिकृत हैं, एचयूएफ के लिए तथा एचयूएफ कर्ता के रूप में तथा अपनी निजी क्षमता में कार्यरत और एचयूएफ के अन्य वयस्क सहसमांशभागी/सदस्य, अनुबंध और दस्तावेज़ों में अपेक्षित लेनदेनों के परिणामस्वरूप या कारण से या इनसे उत्पन्न एतद्द्वारा कंपनी द्वारा किसी समय वहन किए जा सकने वाली समस्त कार्यवाहियों, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, प्रभारों तथा व्यय जो भी हों, के प्रति कंपनी को क्षतिपूरित रखने के लिए सहमत हैं और क्षतिपूरित रखेंगे जिसके लिए वे एतद्द्वारा निजी रूप से, संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से, इस अनुबंध के तहत कंपनी से किए गए समस्त लेनदेनों और वहन दायित्वों के प्रति दायी होंगे।

(ऋणकर्ता के एक प्रोप्राइटर होने की स्थिति में लागू)

प्रोप्राइटर एतद्द्वारा घोषणा, याचित और पुष्टि करता है और जिम्मेदारी लेता है कि वह अनुबंध की अनुसूची में नामित फर्म का एकल प्रोप्राइटर है, वह उक्त फर्म की देयताओं के प्रति एकल रूप से जिम्मेदार है और अनुबंध तथा दस्तावेज़ के अंतर्गत समस्त दायित्वों के निष्पादन हेतु निजी रूप से दायी होगा।

mm) ऋणकर्ता, परिसंपत्ति के मूल्य में होने वाली किसी हानि या क्षति/अवमूल्यन के बारे में कंपनी को तत्काल अवगत कराएगा और परिसंपत्ति पर किसी तृतीय पक्ष के दावों के विरूद्ध अनिवार्य दावे करेगा सिवाय यदि ऐसी किसी हानि या क्षति से ऋणकर्ता या गारंटर का दायित्व मोचन न होता हो चाहे बीमाकर्ता द्वारा दावा स्वीकृत किया जाए अथवा नहीं।

nn) कंपनी, किसी भी प्रयोजन से इसे सौंपे गए कोई भी दस्तावेज़ वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि ऋण, तथा कंपनी के प्रति देय समस्त धनराशियों को पूरी तरह चुकता करते हुए इसे संतुष्ट न कर दिया जाए।

oo) इस अनुबंध में ऋणकर्ता के समस्त अभिवेदन और वारंटियां, इस अनुबंध की तिथि से, उक्त देयकों का कंपनी को पूर्ण भुगतान कर दिए जाने तक, ऋणकर्ता द्वारा प्रत्येक दिन पुनरावर्तित मानी जाएंगी और ऋणकर्ता किसी दिन या किसी समय पर कोई अभिवेदन या वारंटी असत्य या गलत हो जाने की स्थिति में कंपनी को अविलंब सूचित करेगा।

ऋणकर्ता/ओं

pp) ऋणकर्ता यह पुष्टि करता है कि वह/उसके पारिवारिक सदस्य/निकट संबंधी, राजनैतिक अनावरित व्यक्ति नहीं हैं, जैसा कि आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा ऋणकर्ता, उक्त स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर कंपनी को तत्काल सूचित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

qq) बॉरोअर कन्फर्म करता है कि प्रॉपर्टी के संबंध में उसके द्वारा पेमेंट की गई/देय सभी रकम सही सोर्स से है/होगी और यह प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं है/नहीं होगा।

rr) **अनुबंध का लाभ**

यह अनुबंध एतद्द्वारा ऋणकर्ता के लाभार्थ और उसके/इसके वंशजों, निष्पादकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों, और उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होगा। ऋणकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उक्त उल्लेखित व्यक्ति/यों द्वारा निम्न कार्य किए जाएंगे:

(i) मृत ऋणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पश्च दिनांकित चैकों/एसीएच/इ-एनएसीएच या ईसीएस आदेश, बीमा प्रीमियम की चैकों, शुल्कों, प्रभारों और, अवशेष चैकों को इस अनुबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके से उसे प्रथमतया ऋणकर्ता मानते हुए बदला जाएगा।

(ii) वैधानिक प्राधिकारियों जैसे कि राजस्व विभाग, निगम/पालिका/पंचायत या ग्राम कार्यालयों, विद्युत बोर्ड, मेट्रो, वाटर इत्यादि के अभिलेखों में नाम उत्परिवर्तित कराएगा, जैसा इस संबंध में अनिवार्य हो सकता हो, और उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(iii) एक नया अनुबंध, मुखतारनामा, और ऐसे अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करेगा जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो। उक्त के बावजूद, कानूनी वंशज(जों)/प्रतिनिधियों के साथ अनुबंध जारी रखने या न जारी रखने के बारे में कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्णय लेने के लिए अधिकारी होगी। कानूनी प्रतिनिधि द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन न करने या मना करनेया कंपनी की क्रेडिट व अन्य अपेक्षाएं पूरी न करने की स्थिति में कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार अचल संपत्ति को पुनः कब्जे में लेने/निस्तारण/विक्रय/किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करने की अधिकारी होगी और ऐसी वसूली में कोई कमी, कानूनी प्रतिनिधि से वसूल की जाएगी।

14. बीमा:

a) प्रतिभूति के रूप में ऐसे जोखिमों के विरूद्ध और ऐसी धनराशियों हेतु और ऐसी अवधि तक व स्वरूप में जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो, कंपनी के नाम से या हानि आदाता के रूप में कंपनी को चिन्हित करते हुए या पॉलिसी, कंपनी को आवंटित कराते हुए या ऐसी पॉलिसी में कंपनी के हित इस प्रकार निर्दिष्ट करते हुए, ऐसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी या कंपनियों के माध्यम से लिखित में पूरी तरह बीमित रखेगा जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो, और बीमा पॉलिसियों और समस्त कवर नोट्स प्रीमियम रसीदों इत्यादि को कंपनी में जमा करेगा। ऋणकर्ता सहमति प्रदान करता है कि उक्त बीमा के अलावा यह स्थायी प्रभारों तथा किसी भी कारण से उत्पादन में रूकावट की स्थिति में हानि या लाभ हेतु बीमा कवर की व्यवस्था करेगा। ऋणकर्ता समस्त प्रीमियमों के समयबद्ध भुगतान करेगा और कोई ऐसाा कृत्य नहीं करेगा या कारण उत्पन्न नहीं करेगा जिससे ऐसा बीमा अमान्य हो सकता हो और उक्त पॉलिसियों के अंतर्गत किन्हीं धनराशियों की प्राप्ति पर वे कंपनी के पास जमा कराएगा जिनको प्रतिभूति के पुनर्प्रतिष्ठापन या प्रतिस्थापन अथवा उक्त देयकों के पुनर्भुगतान/चुकौती में प्रयोग करने का विकल्प कंपनी के पास रहेगा। यदि ऋणकर्ता उक्तानुसार समस्त/किन्हीं संपत्ति/परिसंपत्तियों का बीमा कराने या बीमित रखने में विफल रहता है तो कंपनी एतद्द्वारा अपने अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, उसे बीमित कराने और बीमित रखने के लिए स्वतंत्र (किन्तु बाध्य नहीं) होगी और इस कार्यवाही में कंपनी द्वारा व्यय या वहन की गई समस्त राशि, मांगे जाने पर ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को ऋण के समान ब्याज के साथ चुकता करनी होगी।

b) ऋणकर्ता द्वारा ऐसी बीमा पॉलिसियों की प्राप्ति और/या कंपनी के समक्ष उसका साक्ष्य प्रस्तुत करने में कोई विफलता, डिफॉल्ट मानी जाएगी और कंपनी पॉलिसी ले सकती है। यदि कंपनी, संपत्ति/यों के बीमे के रूप में बीमा प्रीमियम या किन्हीं अन्य धनराशियों के भुगतान करती है, तो किसी भी कारण से जैसा भी हो, संपत्ति/यों को किसी हानि या क्षति की स्थिति में ऋणकर्ता, कंपनी द्वारा चुकता ऐसी समस्त राशियों की प्रतिपूर्ति करेगा, किन्हीं बीमा प्राप्तियों पर प्रथम दावा कंपनी का होगा जिसकी प्राप्तियों को कंपनी द्वारा एतद्द्वारा शर्तों के अनुसार या ऐसे किसी अन्य प्रकार से जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए, ऋणकर्ता पर बकाया देयकों के समायोजन हेतु प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा, और संपत्ति की किसी पूर्ण हानि/क्षति की स्थिति में, यदि बीमा कंपनी द्वारा निपटान की गई दावा धनराशि, ऋणकर्ता के कुल बकाया और ऋणकर्ता के देयकों से अधिक है, तो ऋणकर्ता पर कंपनी की शेष बकाया धनराशि का भुगतान ऋणकर्ता द्वारा तत्काल किया जाएगा।

c) कंपनी ऋणकर्ता की ओर से, ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम और लागत पर कार्य करने तथा वे सभी आवश्यक कदम उठाने, कार्य और कार्यवाहियां करने के लिए अविकल्पी रूप से प्राधिकृत और अधिकारी है जैसा कंपनी द्वारा अपने हितों का संरक्षण करने के लिए उपयुक्त पाया जाए: (i) किसी बीमा के अंतर्गत या उसके संदर्भ में उत्पन्न किसी विवाद के समायोजन, निपटान, समझौते, या विवाचन को संदर्भित करना और ऐसा समायोजन, निपटान, समझौता और विवाचन निर्णय वैध तथा ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगा और (ii) ऐसे किसी बीमाया उसके तहत किए गए किसी दावे के अंतर्गत देय समस्त धनराशियां प्राप्त करना और उनकी वैध प्राप्तगी (रसीद) देना, और इन प्राप्तियों को एतद्द्वारा शर्तों के अनुसार या कंपनी द्वारा उपयुक्त पाए गए किसी अन्य प्रकार से प्रयोग करना।

d) कंपनी द्वारा बीमा दावे या कार्यवाहियों के संबंध में कोई कार्यवाही न करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, और/या इस आधार पर ऋणकर्ता कंपनी के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा कि अधिक धनराशि या राशि प्राप्त की जा सकती थी या प्राप्त हो सकती है, या ऐसे समायोजन के पश्चात अवशेष देयकों हेतु अपनी देयता को विवादित नहीं कर सकेगा।

e) कंपनी ऋणकर्ता के अनुरोध पर, परिसंपत्ति/यों को समस्त जोखिमों के विरूद्ध बीमित करने वाली और/या निजी दुर्घटना, अस्पताल

में भर्ती होने, कंपनी के प्रति देय ऋण धनराशि और/या महत्त्वपूर्ण बीमारी के लिए ऋणकर्ता को बीमित करने वाली बीमा पॉलिसी/यों के लिए कंपनी के नाम से या 'हानि आदाता' के रूप में कंपनी को चिन्हित करते हुए, बीमा प्रीमियम का वित्तपोषण कर सकती है। कंपनी द्वारा ऋणकर्ता की ओर से इस प्रकार चुकता बीमा प्रीमियम, एतद्द्वारा स्वीकृत मूल ऋण राशि में जोड़ा जाएगा और किश्तों में सम्मिलित किया जाएगा और जिसे ऋणकर्ता द्वारा चुकता किया जाएगा। किन्हीं परिस्थितियों में पॉलिसी कार्यान्वित या कवर न होने के बावजूद कंपनी उक्त प्रीमियम धनराशि को बकाया मूलधन या ऋण के सापेक्ष किन्हीं अन्य देयकों या प्रभारों या कंपनी में किसी अन्य खाते में समायोजित करने के लिए प्राधिकृत है। ऋणकर्ता के अनुरोध पर, ऋण के एक भाग के रूप में बीमा प्रीमियम कंपनी द्वारा सीधे बीमा कंपनी को वितरित किया जा सकता है और ऐसा वितरण, ऋणकर्ता को किया गया वितरण माना जाएगा।

ऋणकर्ता के बजाय अन्य व्यक्ति द्वारा गारंटर या अन्य प्रकार से परिसंपत्ति को प्रतिभूति के रूप में प्रदान किए जाने पर, ऋणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त उपबंधों की समुचित अनुपालना की जाए।

15. समयपूर्व समापन:

a. ऋणकर्ता के अनुरोध पर कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार, और समयपूर्व समापन की अपने द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों के अधीन, पुनर्भुगतान/चुकौती हेतु किश्तों की शीघ्र अदायगी अनुमत कर सकती है।

b. ऋणी द्वारा समयपूर्व भुगतान करने के आशय से कंपनी को कम से कम 21 दिन का नोटिस देकर, तथा ऋण, अतिदेय किश्तें, ब्याज, दंडात्मक शुल्क, प्रभार, तथा अन्य समस्त धनराशियां जो अनुबंध के अंतर्गत कंपनी की ओर से ऋणी पर बकाया और देय हों, का कंपनी को पूरा भुगतान करते हुए, ऋणी, समस्त बकाया ऋण का समयपूर्व भुगतान कर सकता है। अनुसूची में निर्दिष्ट अवधि तक समयपूर्व समापन नहीं किया जा सकता है। समयपूर्व समापन, कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दर पर, या इस अनुबंध की अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के साथ होगा। हालांकि समयपूर्व भुगतान/ समयपूर्व समापन प्रतिबंध और प्रभार, व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों से स्वीकृत परिवर्तनशील दर वाले ऋणों वाले व्यक्तिगत ऋणियों, सह-ऋणियों के साथ या उनके बिना, पर लागू नहीं होंगे।

   वक्तव्य (विवरण) में उल्लेखित समयपूर्व समापन राशि खाता विवरण में प्रदर्शित चैकों के नकदीकरण और इस मान्यता पर कि अनुबंध के अंतर्गत समस्त भुगतान प्रेषित कर दिए गए हैं, के विषयाधीन होगी, जिसमें विफल होने पर उसे उत्क्रमित कर दिया जाएगा और चिन्हित किए जाने पर वह चैक अनादरण प्रभारों, दंडात्मक शुल्कों और अन्य प्रभारों जैसा लागू हों, सहित देय हो जाएगी चाहे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया जा चुका हो।

c. इसके अलावा यह सहमति है कि ऋणकर्ता को कंपनी के प्रति अपनी देयताओं का निस्तारण किए बिना कंपनी से बंधक संपत्ति को लौटाने का आग्रह करने का अधिकार नहीं है, यदि अधिमूल्यन के चलते ऐसी बंधक संपत्ति का मूल्य, बाज़ार दशाओं के अंतर्गत मूल्यांकित उनके मूल्य से ज्यादा हो गया हो।

16. पेनल चार्ज:

कंपनी के टर्मिनेशन, एसेट बेचने और इस एग्रीमेंट के तहत मिले किसी भी दूसरे अधिकार पर कोई असर डाले बिना, अगर ड्यू डेट/डेट्स पर किश्त/किश्तों या किसी दूसरी रकम के पेमेंट में कोई देरी होती है, तो बॉरोअर को ड्यू डेट से लेकर ऐसी किश्त/किश्तों या किसी दूसरी रकम के असल में पूरे पेमेंट की तारीख तक, कंपनी की संतुष्टि के लिए शेड्यूल में बताई गई दर पर डिफ़ॉल्ट रकम पर कंपनी को पेनल चार्ज देना होगा ("पेनल चार्ज")। हालांकि, पेनल चार्ज लगाने से बॉरोअर की लोन देने के लिए ज़रूरी शर्त के तौर पर रीपेमेंट शेड्यूल का सख्ती से पालन करने की ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होगी।

17. समनुदेशन/प्रतिभूतिकरण:

a. यह अनुबंध ऋणकर्ता हेतु व्यक्तिगत है। ऋणकर्ता, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किन्हीं अधिकारों या दायित्वों या लाभों को कंपनी से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के अधिकारी नहीं हैं।

b. कंपनी ऋणकर्ता को सूचित किए बिना, इस अनुबंध के अंतर्गत किश्तें और ऋण शेषराशि प्राप्त करने के अधिकार सहित, अपने किन्हीं या समस्त अधिकारों, लाभों, दायित्वों, कर्तव्यों और देयताओं को किसी व्यक्ति या निकाय को विक्रय, हस्तांतरण, प्रतिभूतिकरण, प्रभार या प्रतिभूति या अन्य प्रकार से प्रदत्त, प्रतिभूतिकृत, विक्रय, आवंटित या हस्तांतरित करने हेतु पूर्णतया पात्र है और पूर्ण शक्ति व प्राधिकार प्राप्त है और ऐसी कोई बिक्री, समनुदेशन या हस्तांतरण ऋणकर्ता पर निर्णायक रूप से बाध्यकारी होगा और ऋणकर्ता इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन ऐसे आवंटी के प्रति करेगा। ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से अभिज्ञानित और स्वीकार करता है कि ऋणकर्ता को संदर्भित किए बिना या लिखित रूप से सूचित किए बिना कंपनी की पसंद के किसी तृतीय पक्ष को, कंपनी को अपने समस्त अधिकार और हित पूर्ण या आंशिक रूप से और उस प्रकार से और ऐसी शर्तों पर जैसा कंपनी द्वारा निश्चित किया जा सकता हो, जिसमें खरीदार, आवंटी या स्थानांतरी की ओर से ऋणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की शक्ति रखने का अधिकार आरक्षित रखना भी शामिल है, विक्रय, आवंटित या स्थानांतरित करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार प्राप्त है।

c. ऋणकर्ता से संबंधित और संदर्भित किसी तथ्य या उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना को सत्यापित कराने के लिए, और/या ऋणकर्ता पर बकाया वसूल करने के लिए/प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए, और ऐसे व्यक्ति(यों) को ऐसे दस्तावेज़, सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े प्रदान करने के लिए, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए, ऋणकर्ता एतद्द्वारा कंपनी को ऋणकर्ता के जोखिम और खर्च पर एक या अधिक व्यक्ति (यों) को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करता है, और इस संबंध में समस्त व्यय ऋणकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

d. ऋणकर्ता ऐसे अनिवार्य दस्तावेज़ निष्पादित करने का दायित्व स्वीकार करता है जो कंपनी द्वारा ऐसे हस्तांतरण, विक्रय या समनुदेशन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

18. धारणाधिकार और समायोजन:

a. बॉरोअर के सभी अकाउंट्स और लायबिलिटीज़ के संबंध में, कंपनी का बॉरोअर की या उसके बाद कंपनी के पास मौजूद सभी प्रॉपर्टीज़ पर लियन होगा, चाहे वे सेफ़-कीपिंग, कलेक्शन या किसी और काम के लिए हों और कंपनी के पास किसी भी करंट या किसी दूसरे अकाउंट में उसके क्रेडिट में अभी या बाद में जमा सभी पैसे और कंपनी के पास कंपनी के ड्यूज़ वसूलने के मकसद से ऐसी सभी सिक्योरिटीज़ और प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

b. कंपनी, अपने पूरे विवेक से, बॉरोअर के अकाउंट्स को उस तरीके से मिला या कंसोलिडेट कर सकती है जो उसे मंज़ूर हो ताकि बॉरोअर द्वारा बताए गए सभी या किसी भी अकाउंट के तहत बकाया और पे किए जाने वाले अमाउंट की रिकवरी हो सके। कंपनी, बॉरोअर के सभी पैसे को, जो उसके क्रेडिट में जमा हैं, ऐसे किसी भी या ज़्यादा अकाउंट्स में या कंपनी के किसी भी दूसरे अकाउंट में बॉरोअर की लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए सेट-ऑफ़ या ट्रांसफ़र कर सकती है, चाहे ऐसी लायबिलिटीज़ एक्चुअल हों या कंटिंजेंट/प्राइमरी या कोलैटरल और कई हों या जॉइंट।

c. अगर कंपनी के मांगने पर लोन अकाउंट में बकाया रकम तय समय में नहीं चुकाई जाती है, तो बॉरोअर के किसी भी अकाउंट में ऐसे क्रेडिट बैलेंस को लोन अकाउंट के तहत बकाया रकम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। किसी भी घाटे की स्थिति में, कंपनी बॉरोअर से घाटे की रकम वसूल सकती है।

d. कंपनी NOC, टाइटल डीड/डॉक्यूमेंट्स, नो ड्यू लेटर जारी करने/सौंपने से रोकने और/या प्रॉपर्टी पर बनाए गए मॉर्गेज को खत्म करने का हकदार होगी, जब तक कि बॉरोअर कंपनी के साथ किए गए किसी दूसरे एग्रीमेंट के तहत डिफॉल्ट की कोई लगातार घटना होती रहती है। इसलिए, बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि वह NOC, टाइटल डीड/डॉक्यूमेंट्स, नो ड्यू लेटर पाने और उक्त मॉर्गेज को खत्म करने का अनुरोध तभी कर पाएगा जब बॉरोअर द्वारा किए गए सभी एग्रीमेंट के तहत सभी बकाया रकम/चार्ज का पूरा और आखिरी सेटलमेंट हो जाएगा।

e. ऊपर बताए गए अधिकार कंपनी को तब भी मिलते हैं, जब बॉरोअर और कंपनी के बीच कोई एग्रीमेंट न हो और इस बात के बावजूद कि कंपनी को दी गई कोई खास सिक्योरिटी किसी खास लोन या अकाउंट के लिए तय की गई हो।

f. इन प्रपोज़ल्स में शामिल कोई भी बात सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स या गारंटी लेटर्स या उनमें से किसी के तहत या किसी कानून के तहत कंपनी के अधिकारों और शक्तियों को सीमित या नुकसान पहुंचाने वाली नहीं मानी जाएगी।

g. बॉरोअर द्वारा कोई सेट-ऑफ या काउंटर क्लेम नहीं किया जाएगा और इस एग्रीमेंट के तहत बॉरोअर द्वारा किए गए सभी पेमेंट बिना सेट-ऑफ या काउंटर क्लेम के किए जाने चाहिए।

19. क्षतिपूर्ति:

ऋणकर्ता कंपनी को ऐसी सभी कार्यवाहियों, वादों, कार्यवाहियों और समस्त लागतों, प्रभारों, व्ययों, हानियों या क्षति के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूरित रखेंगे जो ऋणकर्ता की ओर से एतद्द्वारा कंपनी को कोई गलत या भ्रामक सूचना प्रदान किए जाने के कारण या ऋणकर्ता द्वारा किन्हीं नियमों, शर्तों, अनुबंधों और उनमें निहित प्रावधानों के किसी उल्लंघन/चूक/विरोधाभास/अवहेलना/पालन न करने के कारण कंपनी द्वारा वहन या उस पर भारित हो सकते हैं। कंपनी ऋणकर्ता द्वारा इस उपबंध के अधीन देय किसी धनराशि को इस अनुबंध के विषयाधीन उक्त देयकों में सम्मिलित करने की अधिकारी होगी।

20. नोटिस:

इस संबंध में दिया जाने वाला कोई नोटिस उक्तानुसार यहां उल्लेखित ऋणकर्ता/ /मालिक के पते/पतों पर डाक/कोरियर/टेलीग्राम/फैक्स प्रेषण/ईमेल से प्रेषित किए जाने पर या ऐसे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से प्रेषित किए जाने पर ऋणकर्ता को समुचित अधिसूचित करने के लिए समुचित रूप में प्रदत्त और प्राप्त कराया गया माना जायेगा और ऐसा नोटिस यदि ई-मेल/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अलावा किसी तरीके से भेजा गया हो, तो प्रेषण की तिथि के पश्चात दूसरे कार्यदिवस या प्राप्तगी की वास्तविक तिथि में से जो भी पहले हो, से प्रभावी माना जायेगा। यदि नोटिस ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है, तो यह नोटिस प्राप्त कराया गया माना जायेगा, जब इस नोटिस को पढ़ लिए जाने की सूचना (रेड रिसीट) प्राप्त हो जायेगी, और यदि कंपनी द्वारा रेड रिसीट का अनुरोध न किया गया हो, उस स्थिति में नोटिस भेजे जाने के समय से प्राप्त हुआ माना जाएगा।

21. लागतें और व्यय:

भुगतानचूक होने से पूर्व या पश्चात इस अनुबंध के संबंध में, इसके अनुपालन में निष्पादित किसी दस्तावेज़ और किसी प्रतिभूति के सृजन, प्रवर्तन, नकदीकरण,या नकदीकरण के प्रयास से संबंधित समस्त लागतें (वकील के शुल्क सहित), प्रभार, (पंजीकरण प्रभारों सहित), व्यय, कर, ड्यूटी (स्टाम्प ड्यूटी सहित) ऋणकर्ता द्वारा वहन और भुगतान किए जाएंगे।ऋणकर्ता, कंपनी द्वारा कोई दस्तावेज़ एकत्र करने या एकत्र करने के प्रयास में वहन किए गए किन्हीं व्ययों, ब्याज तथा मूलधन की किश्तों, कंपनी के प्रति देय किन्हीं अन्य धनराशियों जिनमें वसूली करने तथा प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित संपत्ति की हकदारी की जांच के लिए नियुक्त प्रतिनिधियों की कानूनी कार्यवाहियों के खर्च भी शामिल हैं, का कंपनी को भुगतान करने हेतु दायी होगा।

ऋणकर्ता कंपनी द्वारा चुकता समस्त धनराशियां या वहन किए गए व्यय, कंपनी की ओर से मांग नोटिस तिथि से 3 दिनों के अंदर प्रतिपूर्ति करेंगे। उक्त धनराशियों पर भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति की तिथि तक दंडात्मक शुल्क लगाया जाएगा।

22. अधित्याग:

कंपनी को इस अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध या दस्तावेज़ के अंतर्गत या कंपनी को प्रदत्त छूट के संबंध में किन्हीं अधिकारों, शक्तियों या उपचारों के प्रयोग में विलंब या प्रयोग में चूक ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या उपचार को बाधित नहीं करेगा और इनका अधित्याग नहीं माना जाएगा या किसी डिफॉल्ट में रजामंदी नहीं माना जाएगा न ही किसी डिफॉल्ट के संदर्भ में कंपनी द्वारा कार्यवाही किया जाना या कार्यवाही न किया जाना या किसी डिफॉल्ट में इसकी कोई समनुमति किसी अन्य डिफॉल्ट के संदर्भ में कंपनी के किसी अधिकार, शक्ति

या उपचार को बाधित करेगी।

23. प्रवर्तनीयता:

इस अनुबंध में निर्धारित एक या अधिक प्रावधान अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाने पर, यह सहमति है कि अनुबंध का शेष भाग उसके बावजूद कानूनन अनुमत सीमा तक प्रवर्तनीय रहेगा और अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाने वाले ऐसे किसी अधिकार या प्रावधान में पक्षों का अभिप्राय तद्नुसार प्रभावी होगा।

24. क्रेडिट जानकारी:

कंपनी द्वारा ऋणकर्ता से संबंधित निम्नानुसार समस्त या किन्हीं सूचनाओं के प्रकटीकरण हेतु ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमत हैं और सम्मति प्रदान करता है; (ii) ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त की गई/की जाने वाली किसी क्रेडिट सुविधा के संबंध में सूचनाएं और आंकड़े; और (iii) ऋणकर्ता द्वारा उसके दायित्वों के निर्वाहन में की गई चूक/डिफॉल्ट, यदि कोई हो, जैसा कंपनी द्वारा इस संबंध में आरबीआई की ओर से प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियों और/या एजेंसी/एजेंसियों के समक्ष प्रकटित और प्रस्तुत करना उपयुक्त और अनिवार्य पाया जाए।

इसके अलावा ऋणकर्ता यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि

i. इस प्रकार प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियां और/या एजेंसी/एजेंसियां कंपनी द्वारा प्रकटित सूचनाओं और आंकड़ों का उपयोग और प्रक्रमण उस प्रकार कर सकती हैं, जैसा उनके द्वारा उपयुक्त पाया जाए; और

ii. इस प्रकार प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियां या एजेंसी/एजेंसियां, प्रक्रमित सूचनाएं और आंकड़े या उनके द्वारा तैयार उनके उत्पाद बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट दाताओं या पंजीकृत उपयोक्ताओं के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती हैं, जैसा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता हो।

iii. इसके अलावा ऋणकर्ता, कंपनी द्वारा ऋणकर्ता की समस्त या कोई सूचनाएं ग्रुप कंपनियों, अनुषंगियों, या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकटित करने के लिए, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए, सहमत है और सम्मति प्रदान करता है।

25. विविध:

a. किन्हीं नियमों और शर्तों (इस अनुबंध के अंतर्गत लगाई गई ब्याज दर, दंडात्मक शुल्क दर, समयपूर्व समापन पर लागू दर तथा कोई अन्य प्रभार सहित) को उत्तरव्यापी प्रभाव से बदलने, संशोधित करने, या पुनरीक्षित करने, और नियमों एवं शर्तों में किन्हीं परिवर्तनों के बारे में ऋणकर्ता को उस प्रकार सूचित करने, जैसा इसके द्वारा उपयुक्त पाया जाए, का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

b. दो या अधिक ऋणकर्ता होने पर, इस अनुबंध के अंतर्गत उनकी देयताएं संयुक्त और पृथक होंगी।

c. समस्त अनुसूचियां और परिशिष्ट इस अनुबंध के भाग होंगे।

d. समस्त पत्राचार में, ऋणकर्ता द्वारा अनुबंध संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

e. इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त समस्त उपचार चाहे यहां निर्दिष्ट किए गए हों या संविधि, लोक कानून, सामान्य कानून, प्रथा, व्यापार, या उपयोगिता द्वारा प्रदान किए गए हों, क्रमसंचयी होंगे और वैकल्पिक नहीं होंगे और क्रमिक या सहवर्ती रूप से प्रवर्तित किए जा सकते हैं।

f. इस अनुबंध में, संदर्भ के विपरीत या अन्यथा अर्थ अपेक्षित न होने पर:

(i) एकवचन में बहुवचन तथा इसके विलोमतः सम्मिलित हैं।

(ii) पुरूषवाची शब्दों में स्त्रीवाची तथा नपुसंक लिंगी अर्थ सम्मिलित होंगे।

(iii) सर्वनामों "वह", "वह (महिला)", "यह", "उनके" इत्यादि में सजातीय भिन्नताएं अंतरपरिवर्तनीय रूप में प्रयुक्त हैं और संदर्भ के अनुरूप उनकी व्याख्या की जानी चाहिए।

(iv) किसी व्यक्ति को इंगित करने वाले शब्दों में व्यक्ति, निगम, कंपनी, साझेदारी फर्म, न्यास, या कोई अन्य निकाय सम्मिलित हैं।

(v) ऋणभार में रेहन, धारणाधिकार, दृष्टिबंधन, या किसी प्रकार का प्रतिभूति हित, और ऋणात्मक धारणाधिकार, गैर-निस्तारित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं, यदि ऋणकर्ता द्वारा प्रदत्त हों।

(vi) शीर्षक केवल संदर्भ के लिए हैं।

g. ऋणकर्ता की साझेदारी फर्म/कंपनी/एचयूएफ जैसा भी मामला हो, के संविधान में इस अनुबंध की कालावधि के दौरान कोई परिवर्तन, होने की स्थिति में यह ऋणकर्ता के दायित्व बाधित या निस्तारित नहीं करेगा।

h. शब्द अनुबंध/दस्तावेज़/वचनबद्धता/विलेख/लिखित इंस्ट्रूमेन्ट के संदर्भ में

- उनमें समय-समय पर किए गए समस्त संशोधन तथा उनकी अनुसूचियां, परिशिष्ट और अनुलग्नक भी सम्मिलित हैं।
- "परिसंपत्तियां" में समस्त वर्तमान और भावी परिसंपत्ति और संपत्तियां (मूर्त, अमूर्त या अन्य प्रकार की) निवेश, नकदी प्रवाह, राजस्व, अधिकार, लाभ हित, और प्रत्येक विवरण की हकदारियां सम्मिलित हैं;
- प्राधिकृत करने में प्राधिकार, सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन, अनुमति, संकल्प, अनुज्ञप्ति, छूट, फाइलिंग और पंजीयन सम्मिलित हैं;
- ऋणभार में, बंधक, प्रभार, धारणाधिकार, रेहन, दृष्टिबंधन, प्रतिभूति हित, या अन्य किसी प्रकार का धारणाधिकार शामिल है,

जो भी हो।

26. विवाचन और न्यायाधिकार:

(a) इस अनुबंध से उत्पन्न समस्त विवाद, मतभेद और/या दावे चाहे वे इसके कार्यकाल में या इसके पश्चात हों, विवाचन एवं समाधान अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") या विवाचन को विवाद संदर्भित किए जाने से पूर्व उसमें किए गए किन्हीं विधिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप निपटान किए जाएंगे और शिकायतकर्ता द्वारा उस विवाद को विवाचन हेतु निम्न द्वारा नामित एकल विवाचक को संदर्भित किया जाएगा:

(i) सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री - सेंटर फॉर एडीआर, सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संचालित, इसका वर्तमान पंजीकृत कार्यालय इंडियन चैम्बर बिल्डिंग्स, पो.बॉ.नं.1208, एसप्लांडे, चेन्नई- 600108 में है (या)

(ii) काउंसिल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन (सीएनआईसीए), ट्रस्ट फॉर अल्टरनेटिव, डिस्प्यूट्स रिजॉल्युशन द्वारा संचालित इसका वर्तमान पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 412, चौथा तल, अल्फा विंग, रहेजा टॉवर्स, नं. 113-134, अन्ना सलाई, चेन्नई) 600 002 में है।

(यहां से आगे "विवाचन संस्थान" के रूप में संदर्भित)। विवाचन संस्थान द्वारा एकल विवाचक का नामांकन, अनुबंध के सभी पक्षों की पारस्परिक सहमति द्वारा संयुक्त नामांकन माना जाएगा। ऐसे विवाचक द्वारा दिया गया अधिनिर्णय, इस अनुबंध के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(b) विवाचन संस्थान निम्न स्थितियों में नियुक्त विवाचक के स्थान पर प्रतिस्थानी विवाचक को नियुक्त करेगा:

(i) नियुक्त विवाचक की मृत्यु होने पर; या

(ii) जब नियुक्त विवाचक किसी भी कारण से विवाचक के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।

(c) विवाचन कार्यवाहियों की पीठ और स्थान चेन्नई होगा। विवाचन कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी।

(d) एकल विवाचक को विवाचन कार्यवाहियों में सुगमता के लिए आवश्यक होने पर विवाचन संस्थान द्वारा प्रशासनिक सहायता दी जा सकती है।

(e) पक्ष एतद्द्वारा एक लिखित याचिका/प्रस्तुति, भौतिक और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/आभासी प्रकार से (डाक, ईमेल के विनिमय और/या अनिवार्य हो तो बाहरी अनुप्रयोग या प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम द्वारा जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी), ऑनलाइन, आभासी सुनवाई आदि शामिल हैं,) या इनके संयोजन द्वारा जैसा एकल विवाचक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता हो, विवाचन कार्यवाही आयोजित किए जाने के लिए सहमति प्रदान करते हैं, जिसका निर्णय पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(f) एकल विवाचक अपने द्वारा पारित और अपने द्वारा समुचित प्रमाणित निर्णय/अंतरिम निर्णय की एक प्रति डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित कर सकता है या ऐसे निर्णय की स्कैन की हुई छवि या इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित निर्णय पक्षों को वह स्वयं या विवाचन संस्थान द्वारा जैसा उसके द्वारा उपयुक्त पाया जाए, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित कर सकता है जिसे अधिनियम के प्रयोजन से हस्ताक्षरित प्रति माना जाएगा।

(g) डाक/ई-मेल और/या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक पता जो अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता (ओं) द्वारा कंपनी को प्रदान किया गया हो या ऋणकर्ता (ओं) द्वारा कंपनी के समक्ष निष्पादित/साझा किया गया कोई अन्य दस्तावेज़ सक्रिय डाक/ई-मेल पता और/या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक पता माना जाएगा और उस सक्रिय डाक/ई-मेल पते और/या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक पते पर दी गई कोई सेवा पूर्ण मानी जाएगी। उक्तानुसार प्रदान किए गए डाक/ई-मेल पते और/या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक पते में, कोई परिवर्तन या अन्य विसंगतियां होने की स्थिति में कंपनी को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(h) इस अनुबंध की रचना, वैधता और निष्पादन पर भारत का कानून लागू होगा और यहां निहित विवाचन उपबंध के विषयाधीन ऋणकर्ता विशेषरूप से सहमत है कि इस अनुबंध के कारण या इसके संबंध में उत्पन्न किसी भी मामले पर केवल चेन्नई न्यायालय को विशिष्ट न्यायाधिकार प्राप्त होगा।

27. शिकायत सुलझाने का तरीका:

कंपनी ने RBI की मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से एक डिटेल्ड शिकायत सुलझाने का तरीका बनाया है। शिकायत सुलझाने का तरीका और कॉन्टैक्ट डिटेल्स https://cholamandalam.com/grievance-redressal.aspx पर मौजूद हैं। बॉरोअर इस शिकायत सुलझाने के तरीके के तहत अपनी शिकायतों का समाधान करवा सकता है।

28. इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल एग्जीक्यूशन और कम्युनिकेशन:

बॉरोअर इस बात से सहमत है, समझता है, मानता है और कन्फर्म करता है कि वह इस एग्रीमेंट और इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल फॉर्म में (जहां लागू हो) डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाकर एग्जीक्यूट कर सकता है, जो पार्टियों के बीच एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। बॉरोअर कन्फर्म करता है कि उसे पता है कि इस एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, इंस्ट्रक्शन्स, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन्स ('कम्युनिकेशन्स') को ईमेल, फैक्स, SMS टेक्स्ट मैसेजिंग, ऑनलाइन/वेबसाइट एक्सेप्टेंस, वगैरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भेजने ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') में कई रिस्क शामिल हैं, जिसमें फ्रॉड वाले बदलाव और गलत ट्रांसमिशन और प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और

ऋणकर्ता/ओं

कॉन्फिडेंशियलिटी की कमी शामिल है। हालांकि, बॉरोअर इस एग्रीमेंट के तहत अलग-अलग मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कंपनी से कम्युनिकेशन्स लेने और देने का इच्छुक है, जिसमें लोन और उसके ऑपरेशन से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

कंपनी द्वारा इसकी इजाज़त देने के बाद, बॉरोअर कंपनी को नीचे दिए गए नियमों की पक्की पुष्टि करता है और वादा करता है:

a) कंपनी अपनी ज़रूरतों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दिए गए कम्युनिकेशन्स पर भरोसा करने (और उन्हें असली मानने) की हकदार होगी। अगर कोई सवाल है कि कम्युनिकेशन क्या दिए गए थे या क्या मिले थे, तो कंपनी को मिले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को आखिरी, पक्का और ज़रूरी माना जाएगा और कंपनी इस बारे में किसी भी तरह का वेरिफिकेशन करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।

b) बॉरोअर यह कन्फर्म करता है कि कंपनी कम्युनिकेशन के पूरे या किसी हिस्से के अनुसार काम करने के लिए मजबूर नहीं होगी, जैसा कि भेजे गए कम्युनिकेशन में दिख सकता है और यह पूरी तरह से बॉरोअर के रिस्क पर होगा।

c) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कम्युनिकेशन के आधार पर कंपनी द्वारा किए गए किसी भी काम या काम करने से इनकार करने या कार्रवाई टालने के नतीजों के लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी।

d) बॉरोअर को पता है और वह कन्फर्म करता है कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दिए गए किसी भी कम्युनिकेशन पर सिर्फ़ इस क्लॉज़ में दिए गए अंडरटेकिंग के आधार पर और उस पर भरोसा करके ही काम करने के लिए सहमत है।

29. स्वीकृति:

ऋणकर्ता और गारंटर एतद्द्वारा निम्नानुसार घोषणा करते हैं:

कि उन्होंने अनुसूचियों में दिए यथार्थ विवरणों सहित, जिसे उनकी उपस्थिति में भरा गया है, इस समस्त अनुबंध को पढ़ लिया है, समस्त उपबंधों/विवरणों का समस्त अर्थ समझ लिया है, और उसका पालन करने के लिए सहमत हैं।

उक्त सुविधा प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्होंने अनिवार्य दस्तावेज़ निष्पादित कर दिए हैं।

इस अनुबंध और अन्य दस्तावेज़ों को उन्हें समझ में आने वाली भाषा में उनको समझा दिया गया है और उन्होंने उनकी परिचित भाषा में मुद्रित इस ऋण के महत्त्वपूर्ण विवरण भी प्राप्त कर लिए हैं और उससे वे संतुष्ट हैं। यदि इस अनुबंध के स्थानीय भाषा संस्करण में शब्द/दों और/या उपबंध/धों के अर्थ/व्याख्या में इसके अंग्रेजी संस्करण से कोई असंगति हो, तो अंग्रेजी संस्करण की शर्त/शर्तें और/या उपबंध ही प्रचलित होंगे।

वे सहमत हैं कि इस अनुबंध पर कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से यह अनुबंध अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।

ऋणकर्ता/ओं

व्यक्ति की स्थिति में

व्यक्ति का नाम

व्यक्ति के हस्ताक्षर

कंपनी की स्थिति में

जिनकी उपस्थिति में कंपनी की सामान्य मुहर एतद्द्वारा दिन और वर्ष को उक्त उल्लेखित अनुसार अंकित की गई

उपरोक्तानुसार उल्लेखित.......................... की **सामान्य मुहर**, इसके निदेशकों के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुपालन में है जिसे उनकी ओर से.......... के दिन..............20...... को पारित किया गया सामान्य एतद्द्वारा संस्था के अंतर्नियमों के अनुपालन में मुहर लगाई गई। श्री/सुश्री....................................... श्री/श्रीमती .... की उपस्थिति में। प्राधिकृत अधिकारी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए।

सामान्य मुहर

साझेदारी फर्म की स्थिति में

जिनकी उपस्थिति में फर्म के साझेदारों ने उक्तानुसार उल्लेखित दिन और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए
कृते_________________________________(साझेदारी फर्म का नाम)

साझेदार

प्रोप्राइटरशिप की स्थिति में कंसर्न

जिनकी उपस्थिति में प्रोप्राइटर ने उक्तानुसार उल्लेखित दिन और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए
कृते_________________________________(प्रोप्राइटर का नाम कंसर्न)

प्रोप्राइटर

कृते **चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,**

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनुसूची

अनुबंध का स्थान		
अनुबंध की तिथि		
ऋणकर्ता का/के नाम		
सह-ऋणकर्ता का/के नाम		
ऋणकर्ता (ओं)/सह-ऋणकर्ता (ओं) के पते		
ऋणकर्ता(ओं) का व्यवसाय का स्थान और स्थिति (उदा. प्राइवेट लिमिटेड कं/पब्लिक लिमिटेड कं./व्यक्ति/फर्म/एकल प्रोप्राइटर/एचयूएफ इत्यादि,)		
ऋण का उद्देश्य		
ऋण राशि		
ऋण की अवधि		
तिथि जब से पुरोभाव्य शर्तें पूरी की जानी हैं		
ब्याज का प्रकार		
ब्याज की दर		
पुनर्भुगतान/चुकौती अनुसूची* (a) प्रत्येक किश्त की धनराशि		
(b) किश्तों की संख्या		
(c) प्रथम किश्त इस तिथि को या इससे पूर्व चुकता की जाएगी और उत्तरवर्ती किश्तें प्रत्येक अनुवर्ती महीने की_______को या इससे पूर्व चुकता की जाएंगी		
वापसी	महीने के	
जिस दर पर ब्याज देय है	मासिक/त्रैमासिक/पृथक से देय/मूलधन के साथ समान मासिक के रूप में देय किश्त (ईएमआई) - जो लागू न हो उसे काट दें*	
दंडात्मक शुल्क	**% प्रति वर्ष**	
प्रतिभूति (संपत्ति के ब्यौरे)		
स्वैप प्रभार		
प्रतिबद्धता शुल्क		
प्रोसेसिंग शुल्क (पी.सी) तथा प्रशासकीय शुल्क (ए.एफ)	पी.सीएफ	ए.एफ
चैक/ आदेश अनादरण प्रभार		
समयपूर्व समापनप्रभार	बकाया मूलधन पर 4% प्रभारित किया जाएगा।	
समयपूर्व समापन की शर्त	अनुबंध की तिथि से बारह (12) माह तक समयपूर्व समापन की अनुमति नहीं होगी।	
डॉक्यूमेंट/डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट चार्ज:	डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट लिस्ट: Rs.500 + GST डॉक्यूमेंट्स की कॉपी: Rs.750 + GST अकाउंट स्टेटमेंट की फिजिकल कॉपी: Rs.250 + GST	
वैधानिक और विनियामक शुल्क – CERSAI		

* नोट:1. समस्त लागू कर, ड्यिूटी, उपभार, अधिभार, तथा उपकर, जिनमें अन्य के अलावा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भी शामिल है, समय-समय पर यथासंशोधित रूप में उक्त निर्दिष्ट करयोग्य धनराशियों पर अतिरिक्त प्रभारित किए जाएंगे।

2.मुख्य तथ्य विवरण और उसके अनुलग्नक शेड्यूल के साथ अटैचमेंट के रूप में दिए गए हैं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

ऋणकर्ता/ओं

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत SMA और NPA श्रेणियों के रूप में ऋणों के वर्गीकरण का आधार निम्न है:

वर्गीकृत की गई श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय कोई अन्य राशि
SMA-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
NPA	90 दिनों से अधिक

SMA या NPA के तौर पर वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के आखिर तक होने वाली प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाता है और SMA या NPA वर्गीकृत की गई दिनांक कैलेंडर दिनांक होगी जिसके लिए कंपनी की तरफ से दिन के आखिर तक पूरा करने की प्रक्रिया चलाई जाती है।

एक बार NPA के तौर पर वर्गीकृत किए गए ऋण खातों को स्टैण्डर्ड परिसंपत्ति के रूप में केवल तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब उधारकर्ता की तरफ से मूलधन, ब्याज और/या अन्य राशियों की संपूर्ण बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया जाता है ("स्टैण्डर्ड संपत्ति" अभिव्यक्ति का अर्थ ऋण खाता होगा और इसे इससे ही संदर्भित किया जाएगा जिसे SMA या NPA के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है)। उधारकर्ता के स्तर के अनुसार SMA या NPA वर्गीकरण किया जाता है जिसका मतलब यह है कि उधारकर्ता के सभी ऋण खातों को उच्चतम अतिदेय दिनों वाले ऋण के लिए लागू के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा।

SMA या NPA या RBI की तरफ से निर्धारित किसी अन्य नई श्रेणी के तौर पर ऋण खाते के वर्गीकरण में कोई भी बदलाव कंपनी द्वारा स्वतः ही लागू किया जाएगा और यह उधारकर्ता पर लागू होगा।

<u>SMA/NPA वर्गीकरण के उदहारण</u>: अगर किसी ऋण खाते की देय दिनांक 31 मार्च, 2021 है और अगर कंपनी की तरफ से इस दिनांक के लिए दिन के आखिर तक प्रक्रिया चलाने से पहले पूरा बकाया नहीं मिल जाता, तो 31 मार्च 2021 अतिदेय दिनांक होगी। अगर ऋण खाता अतिदेय बना रहता है, तो ऋण खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के आखिर तक प्रक्रिया को चलाने पर यानी निरंतर अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के तौर पर टैग किया जाएगा। उसी के अनुसार, ऋण खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की दिनांक 30 अप्रैल, 2021 होगी।
इसी प्रकार से अगर ऋण खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के आखिर तक प्रक्रिया चलाने पर SMA-2 के तौर पर टैग किया जाएगा और अगर यह अतिदेय आगे भी बना रहता है तो 29 जून 2021 को इसे दिन के आखिर तक प्रक्रिया चलाने पर NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

हालांकि अगर भुगतान देय दिनांक से पहले किया गया हो, भुगतान के लिए केवल देय दिनांकों पर या समाहरण लिखतों पर जो भी बाद में हो, क्रेडिट दिया जाएगा।

परिसंपत्ति के विवर

प्राधिकृत हस्ताक्षरी ऋणकर्ता/ओं

जमाकर्ता(ओं) द्वारा कंपनी में जमा किए गए हकदारी विलेखों/दस्तावेज़ों की सूची

ऋणकर्ता/ओं

ऋणकर्ता/ओं

कृते **चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,**

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

ऋणकर्ता/ओं

माँग वचनबद्धता पत्र - ऋणकर्ता

दिनांकः
स्थान:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
चोला क्रेस्ट', सी 54 और 55, सुपर
बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल
एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई - 600032.

प्रिय महोदय,

मांगे जाने पर मैं/हम अधोहस्ताक्षरी...

....

....

....चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को प्राप्त मूल्य हेतु रु. .... (रुपये.. या मात्र) मासिक/त्रैमासिक शेषराशि के साथ देय उस तिथिको......................... %(......................... दर) वार्षिक या ऐसी किसी अन्य दर पर जैसा कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता हो, वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करने या आदेश करने हेतु संयुक्त और पृथक रूप से तथा निशर्त प्रकार से वचन देते हैं। अदायगी प्रस्तुति, नोटिंग और प्रत्यापत्ति पत्र एतद्द्वारा निशर्त और अविकल्पी रूप से छोड़े गए हैं।

व्यक्ति की स्थिति में
व्यक्ति का नाम

व्यक्ति के हस्ताक्षर

रसीदी टिकट

कंपनी की स्थिति में
जिनकी उपस्थिति में कंपनी की सामान्य मुहर एतद्द्वारा दिन और वर्ष को उक्त उल्लेखित अनुसार अंकित की गई

उपरोक्तानुसार उल्लेखित .... की **सामान्य मुहर,** इसके निदेशकों के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुपालन में है जिसे उनकी ओर से .... के दिन .... 20...... को पारित किया गया सामान्य एतद् द्वारा संस्था के अंतर्नियमों के अनुपालन में मुहर लगाई गई। श्री/सुश्री .... श्री/श्रीमती .... की उपस्थिति में। प्राधिकृत अधिकारी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए।

सामान्य मुहर

साझेदारी फर्म की स्थिति में
जिनकी उपस्थिति में फर्म के साझेदारों ने उक्तानुसार उल्लेखित दिन और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए
कृते .... (साझेदारी फर्म का नाम)

साझेदार

प्रोप्राइटरशिप की स्थिति में कंसर्न
जिनकी उपस्थिति में प्रोप्राइटर ने उक्तानुसार उल्लेखित दिन और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए
कृते .... (प्रोप्राइटर का नाम कंसर्न)

प्रोप्राइटर

हकदारी विलेख जमा द्वारा बंधक सृजन के पूर्व अंतरण को रिकॉर्ड करने वाला ज्ञापन

एतद्द्वारा अनुसूची-I में नामित व्यक्ति(यों) द्वारा (यहाँ से आगे "जमाकर्ता (ओं)"कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, संदर्भ या उसके अर्थ के विपरीत न होने पर उसके/उनके संबंधित वंशजों, कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तरजीवियों को सम्मिलित माना जाएगा) और चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत और निगमित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'चोला क्रेस्ट', सी 54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई - 600032 के पते पर है, यहाँ से आगे "कंपनी" कहा गया है (जिस अभिव्यक्ति में संदर्भ या उसके अर्थ के अनुसार विपरीत न होने पर इसके अनुवर्ती/उत्तराधिकारी और आवंटी शामिल होंगे) के पक्ष में हकदारी विलेख जमा द्वारा समान बंधक सृजन के पूर्व अंतरण को रिकॉर्ड करने के लिए उनके बीच यह ज्ञापन आज.............................. दिनांक.................. के दिन............... निम्नानुसार निष्पादित किया गया:

1. ऋण अनुबंध, दिनांकित .... (यहाँ से आगे "अनुबंध" कहा गया है) के अनुपालन में कंपनी ने एतद्द्वारा अनुसूची-II में उल्लेखित जमाकर्ता(ओं) और/या व्यक्तियों (यहाँ से आगे "ऋणकर्ता(ओं) कहा गया है), को, उक्त अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार रु. .... (रुपये) की धनराशि हेतु ऋण सुविधा प्रदान की है/प्रदान करने के लिए सहमत है;

2. .... के दिन....................... को जमाकर्ता (ओं) .... के पते पर कंपनी के कार्यालय में उपस्थित हुए और और श्री/सुश्री .... से मिले, जो कंपनी के लिए तथा इसकी ओर से कार्यरत हैं,, और श्री/सुश्री .... जो कंपनी के लिए तथा इसकी ओर से कार्यरत हैं, के पास अनुबंध की अनुसूची में वर्णित जमाकर्ता(ओं) की संपत्तियों (यहां से आगे ''संपत्तियां'' कहा गया है) से संबंधित हकदारी, हक विलेख, दस्तावेज़ तथा लिखित विवरण, जो अनुबंध की अनुसूची में वर्णित हैं, इस अभिप्राय के साथ जमा किए कि उक्त हकदारी विलेख कंपनी के पक्ष में हकदारी विलेख जमा द्वारा बंधक सृजन के रूप में जमा रहेंगे और जमाकर्ता(ओं) की संपत्तियों के संदर्भ में, इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता(ओं) के देयकों, जिनमें मूल ऋण राशि, ब्याज, तरलीकृत क्षति, लागतें, प्रभार और व्यय तथा अन्य समस्त धनराशियां जो भी इस अनुबंध के अंतर्गत या अन्य प्रकार से ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के प्रति देय और बकाया हों (यहां से आगे सामूहिक रूप से ''बकाया'' कहा गया है) के समुचित पुनर्भुगतान/चुकौती/भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में रहेंगे।

3. उक्त जमा के समय जमाकर्ता (ओं) द्वारा कंपनी के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ घोषित और प्रस्तुत किया गया कि जमाकर्ता, संपत्तियों का/के पूर्ण मालिक था/थे, यह कि जमाकर्ता को संपत्ति पर और उसके संदर्भ में बंधक सृजित करने का अधिकार है, यह कि उक्त संपत्तियों के संबंध में अनुबंध की अनुसूची में वर्णित हकदारी विलेख, दस्तावेज़ और लिखित विवरण संपत्तियों की हकदारी के संबंध में समस्त दस्तावेज़ हैं और यह कि वे कंपनी में उपरोक्तानुसार जमा किए गए हैं, और यह कि हकदारी विलेख जमा द्वारा सृजित समतुल्य बंधक द्वारा सुरक्षित समस्त बकाया का कंपनी को ऋणकर्ता(ओं) और/या जमाकर्ता(ओं) द्वारा सम्पूर्ण भुगतान/पुनर्भुगतान कर दिए जाने तक वे प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित रहेंगे।

व्यक्ति की स्थिति में
व्यक्ति का नाम

व्यक्ति के हस्ताक्षर

कंपनी की स्थिति में
जिनकी उपस्थिति में कंपनी की सामान्य मुहर एतद्द्वारा दिन और वर्ष को उक्त उल्लेखित अनुसार अंकित की गई

उपरोक्तानुसार उल्लेखित.......................... की सामान्य मुहर, इसके निदेशकों के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुपालन में है जिसे उनकी ओर से......... के दिन.............20...... को पारित किया गया सामान्य एतद्द्वारा संस्था के अंतर्नियमों के अनुपालन में मुहर लगाई गई। श्री/सुश्री...................................... श्री/श्रीमती .... की उपस्थिति में। प्राधिकृत अधिकारी, जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए।

सामान्य मुहर

साझेदारी फर्म की स्थिति में
जिनकी उपस्थिति में फर्म के साझेदारों ने उक्तानुसार उल्लेखित दिन और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए
कृते .... (साझेदारी फर्म का नाम)

साझेदार

प्रोप्राइटरशिप की स्थिति में कंसर्न
जिनकी उपस्थिति में प्रोप्राइटर ने उक्तानुसार उल्लेखित दिन और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए
कृते .... (प्रोप्राइटर का नाम कंसर्न)

प्रोप्राइटर

द्वारा हस्ताक्षरित और रिकॉर्ड किया गया:
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से

निम्न की उपस्थिति में
गवाह 1. ____________________
गवाह 2. ____________________

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनुसूची I
[जमाकर्ता(ओं) के विवरण]

I. यदि व्यक्ति (यों):

1. श्री/सुश्री.., का पुत्र/पत्नी/पुत्री..आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास...

2. श्री/सुश्री.., का पुत्र/पत्नी/पुत्री..आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास ....

3. श्री/सुश्री.., का पुत्र/पत्नी/पुत्री..आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास...

4. श्री/सुश्री.., का पुत्र/पत्नी/पुत्री..आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास ....

II. यदि व्यक्ति के बजाय एक एकल प्रोप्राइटरी कंसर्न/फर्म या साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एचयूएफ या न्यास या कोई अन्य गठित संस्था है:

मैं..., जो कि...के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित/गठित ....और जिसका पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय का स्थान.........................., के पते पर है औरइसके...श्री/सुश्री ....द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व है

अनुसूची II
[जमाकर्ता(ओं) के अलावा ऋणकर्ता(ओं) यदि कोई हों]

I. यदि व्यक्ति (यों):

1. श्री/सुश्री.., का पुत्र/पत्नी/पुत्री..आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास...

2. श्री/सुश्री.., का पुत्र/पत्नी/पुत्री..आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास...

3. श्री/सुश्री.., का पुत्र/पत्नी/पुत्री..आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास...

4. श्री/सुश्री..., का पुत्र/पत्नी/पुत्री.. ....आयु लगभग .... वर्ष, वर्तमान निवास...

II. यदि व्यक्ति के बजाय एक एकल प्रोप्राइटरी कंसर्न/फर्म या साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एचयूएफ या न्यास या कोई अन्य गठित संस्था है:

मैं..., जो कि...के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित/गठित ....और जिसका पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय का स्थान............................., के पते पर है औरइसके...श्री/सुश्री...द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व है

अनुसूची III

संपत्ति(यों) का विवरण

अनुसूची IV

जमाकर्ता(ओं) द्वारा कंपनी में जमा किए गए शीर्षक विलेखों/दस्तावेजों की सूची

ऋणकर्ता/ओं

संविधान और प्राधिकृति के अनुसार एचयूएफ घोषणा

दिनांक:
स्थानः

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,'डेयर
हाउस' नं. 2 एनएससी बोस रोड
पैरीज, चेन्नई - 600 001. प्रिय
महोदय,

संदर्भ: एक..(सुविधा का प्रकार) निम्न के नाम से
.... (एचयूएफ का नाम) प्राप्त कर रहे हैं

हमारे द्वारा प्राप्त शीर्षांकित..सुविधा के संदर्भ में हम निम्नानुसार घोषणा करते हैं

हम अधोहस्ताक्षरी, एचयूएफ के समस्त सदस्य हैं और श्री... कर्ता है और हम उसकी देयताओं के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हैं। एचयूएफ में हो सकने वाले किसी परिवर्तन के बारे में हम लिखित रूप से आपको सूचित करेंगे और समस्त उपस्थित सदस्य आपके लेखों में एचयूएफ के नाम से बकाया किन्हीं देयताओं के लिए, और ऐसी समस्त देयताएं वसूल कर लिए जाने तक आपके प्रति दायी होंगे जो उस संबंध में नोटिस प्राप्ति की तिथि को हो सकती हैं। हमारे द्वारा हस्ताक्षर करते हुए तथा हमारी ओर से तथा एचयूएफ की ओर से उक्त सुविधा के संदर्भ में समस्त या किन्हीं दस्तावेज़ों के निष्पादन के लिए श्री...कर्ता को समुचित प्राधिकृत किया गया।

इसके अलावा मैं/हम जिम्मेदारी स्वीकार करते तथा पुष्टि करते हैं कि मैं/हम निशर्त रूप से आप व आपके आवंटियों को ऐसे दावों, हानियों, और क्षतियों, जो भी हों, से क्षतिपूरित रखेंगे, जो इस घोषणा पर निर्भरता या उनकी वैधता या प्रवर्तनीयता के संबंध में किसी समय आप पर भारित हों/हो सकती हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

सह-समांशियों (साझेदारों) के नाम हस्ताक्षर (कृपया बिना मुहर के हस्ताक्षर करें) 1.

2.

3.

4.

संविधान के अनुसार साझेदारी घोषणा

दिनांक:
स्थानः

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
'डेयर हाउस' नं. 2 एनएससी बोस रोड
पैरीज, चेन्नई - 600 001. प्रिय
महोदय,

संदर्भ: एक.. (सुविधा का प्रकार) निम्न के नाम से
.... (साझेदारी फर्म का नाम) प्राप्त कर रहे हैं

हमारे द्वारा प्राप्त शीर्षांकित...सुविधा के संदर्भ में हम निम्नानुसार घोषणा करते हैं

हम अधोहस्ताक्षरी, फर्म के समस्त साझेदार हैं और हम उसकी देयताओं के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हैं। साझेदारी में हो सकने वाले किसी परिवर्तन के बारे में हम लिखित रूप से आपको सूचित करेंगे और समस्त उपस्थित/भावी साझेदार आपके लेखों में एचयूएफ के नाम से बकाया किन्हीं देयताओं के लिए, और ऐसी समस्त देयताएं वसूल कर लिए जाने तक आपके प्रति दायी होंगे जो उस संबंध में नोटिस प्राप्ति की तिथि को हो सकती हैं।

इसके अलावा मैं/हम जिम्मेदारी स्वीकार करते तथा पुष्टि करते हैं कि मैं/हम निशर्त रूप से आप व आपके आवंटियों को ऐसे दावों, हानियों, और क्षतियों, जो भी हों, से क्षतिपूरित रखेंगे, जो इस घोषणा पर निर्भरता या उनकी वैधता या प्रवर्तनीयता के संबंध में किसी समय आप पर भारित हों/हो सकती हैं।

धन्यवाद, भवदीय,

साझेदारों का नाम	हस्ताक्षर (कृपया बिना मुहर के हस्ताक्षर करें)
1.	
2.	
3.	
4.	

साझेदारी फर्म द्वारा प्राधिकार पत्र

दिनांक:
स्थानः

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
'डेयर हाउस' नं. 2 एनएससी बोस रोड
पैरीज, चेन्नई - 600 001.

हम मेसर्स.. के साझेदार एतद्द्वारा निम्नांकित में से किसी साझेदार/रों को कंपनी से फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के संबंध में विविध अनुबंध व अन्य संबंधित दस्तावेज़ निष्पादित करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं। यह प्राधिकार प्रत्यायोजन लिखित में अन्य प्रकार सूचित किए जाने तक वैध और प्रभावी होगा।

यह प्राधिकार प्रत्यायोजन साझेदारी विलेख में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रदान किया गया।

साझेदारों का नाम	हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	
4.	

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते मेसर्स..

साझेदारों का नाम	हस्ताक्षर (मुहर सहित)
1.	
2.	
3.	
4.	

पीडीसी दाखिल करने हेतु घोषणा

दिनांक:
स्थानः

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
'चोला क्रेस्ट', सी 54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का
इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई - 600032.

प्रिय महोदय,
विषयः रु. ....धनराशि की ऋण सुविधाएं
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ("कंपनी") द्वारा प्रदत्त/प्रदान किए जाने हेतु सहमत उक्तांकित ऋण (क्रेडिट) सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा उसके लिए प्रतिभूति के रूप में, मैं/हम एतद्द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को चैक की दिनांक और धनराशि अंकन रहित चैकें (जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं) उपलब्ध करा रहे हैं जो कंपनी के पक्ष में देय होंगी।

क्रम सं.	चैक सं.

मैं/हम सहमत हैं और अभिस्वीकृति प्रदान करते हैं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 20 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी, जो कि वर्तमान मामले में चैकों की धारक है, उसे उक्त चैकों को पूर्ण अंकित करने का प्राधिकार होगा।

अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार उक्त चैकें पूर्ण अंकित करने के लिए कंपनी को उक्तानुसार प्राधिकृत करने के अतिरिक्त मैं/हम एतद्द्वारा निशर्त रूप से तथा अविकल्पी रूप से कंपनी को उक्त चैकों में तारीखें और धनराशि अंकित करने तथा उन्हें भुगतान हेतु प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत करते व उसकी प्राधिकृति की पुष्टि करते हैं।

मैं/हम एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेते हैं कि कंपनी द्वारा पूर्ण की जाने वाली चैकों के आहरणकर्ता के रूप में पूर्णतया बाध्य रहेंगे और मेरे/हमारे द्वारा भरी और प्रस्तुत करके आहरित की जाने वाली चैकों के समान प्रकार से दायी होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त चैकें भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने पर आदरित की जाएं।

मैं/हम एतद्द्वारा सहमत हैं और अभिस्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त चैकों का किसी भांति अनादरण होने पर मैं/हम दायी होंगे जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के प्रावधान भी शामिल हैं।

धन्यवाद, भवदीय
कृते (व्यक्ति/कंपनी/फर्म का नाम)

हस्ताक्षर/प्राधिकृत हस्ताक्षरी
(कंपनी/फर्म की स्थिति में प्राधिकृत हस्ताक्षरी की मुहर अंकित करें)

एकल प्रोप्राइटर की घोषणा

दिनांक:
स्थानः

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 'चोला
क्रेस्ट', सी 54 और 55, सुपर बी-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई - 600032.

प्रिय महोदय,

विषयः क्रेडिट सुविधा धनराशि ....रु.

आप द्वारा स्वीकृत शीर्षांकित सुविधा के संदर्भ में मैं निम्नानुसार घोषणा करता हूं:

मैं अधोहस्ताक्षरी, कंसर्न/फर्म का एकल प्रोप्राइटर हूं .... और कार्यालय .... पर है। इसके अलावा मैं घोषणा करता हूं कि मेरे लिए रु. .... (रु...मात्र)की उक्त स्वीकृत सुविधा की प्राप्तियां केवल...के प्रयोजन से ही उपयोग की जाएंगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

एकल प्रोप्राइटर के
हस्ताक्षर

नाम..

(कंसर्न/फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरी की मुहर लगाई जाए)

<u>अंतिम उपयोग पत्र</u>

दिनांक:
स्थानः

प्रिय महोदय,

विषयः सुरक्षित ऋण के लिए आवेदन

मैं/हम.. मेरे हमारे द्वारा ....चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो "चोलामंडलम" के रूप में संदर्भित है (जिस अभिव्यक्ति में विषय या उसके संदर्भ के अनुसार विपरीत अर्थ न होने पर, इसके उत्तराधिकारी और आवंटी शामिल हैं) के समक्ष प्रस्तुत आवेदन सं. .... दिनांक................................ के सदर्भ में जो उक्त आवेदन पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से निम्न .... से संपत्ति के सापेक्ष ऋण प्राप्त करने के लिए दाखिल की गई है

1. ऋण सुदृढ़ीकरण (कंसोलिडेशन)
2. व्यावसायिक आवश्यकताएं
3. निवेश
4. परिसंपत्ति अर्जन
5. बंधक खरीद/शेषराशि हस्तांतरण
6. व्यक्तिगत आवश्यकताएं

मैं एतद्द्वारा वक्तव्य, अधियाचन और पुष्टि करता हूं कि उक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और किसी भांति पूर्वानुमान आधारित या गैरकानूनी नहीं है। इसके अलावा मैं सहमति प्रदान करता, पुष्टि करता और जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं कि ऋण के अंतर्गत निधियों के उपयोग का उद्देश्य ऋण अवधि के दौरान किसी भांति बदला नहीं जाएगा; या उद्देश्य में ऐसा कोई परिवर्तन केवल चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाएगा

मैं सहमति प्रदान करता हूं कि उक्त वचनबद्धताओं में से समस्त या किन्हीं के अनुपालन में कोई उल्लंघन या चूक, ऋण अनुबंध के अंतर्गत डिफॉल्ट की घटना मानी जाएगी।

धन्यवाद,

1. आवेदक के हस्ताक्षर:

   आवेदक का नाम:

2. सह-आवेदक हस्ताक्षर:

   सह- आवेदक का नाम:

ऋण वितरण अनुरोध फार्म

सेवा में,
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
'चोला क्रेस्ट', सी 54 और 55, सुपर बी-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई - 600032

प्रिय महोदय,

मैं/हम आपसे निम्नानुसार ऋण वितरण का विनम्र अनुरोध करते हैं:

a) रु...................................../- अनुग्रहीत: ....

b) रु...................................../- अनुग्रहीत: ....

धन्यवाद

भवदीय,

अशिक्षित/नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा स्थानीय भाषा में हस्ताक्षर किए जाने हेतु ज्ञापन

दिनांक:
स्थान:

निम्न दस्तावेजों की विषयवस्तु...... .... द्वारा (दस्तावेज अनुवादित करने वाले व्यक्ति का नाम और पता) मुझे .... (ऋणकर्ता का नाम और पता, जो अंग्रेजी नहीं समझता है) .... (स्थानीय भाषा) में पढ़कर समझा दी गई है और मैंने दस्तावेज की विषयवस्तु को पूरी तरह से समझ लिया है।

दस्तावेजों की सूची:
संपत्ति के सापेक्ष ऋण अनुबंध

1. सुरक्षित ऋण समझौता
2.
3.

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर (जो अंग्रेजी नहीं समझता है)

उक्त दस्तावेजों की विषयवस्तु मेरे द्वारा पढ़ी गई और समझाई गई।

दस्तावेज अनुवादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर